Saturday, 28th February, 1987

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

आठवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अष्टम माला, खंड 24, आठवां सत्र, 1987/1908 (शक)

अंक 5, शनिवार, 28 फरवरी, 1987/9 फाल्गुन, 1908 (शक)

विषय	पृष्ठ
सामान्य बजट, 1987-88—प्रस्तुत किया गया	3—35
श्री राजीव गांधी	35
वित्त विधेयक, 1987—पुरःस्थापित	35

लोक सभा

शनिवार, 28 फरवरी, 1987/9 फाल्गुन, 1908 (शक)

लोक सभा 5.00 बजे म० प० समवेत हुई।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हां, अब प्रधान मंत्री बोलेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रधान मंत्री, कृपया आप थोड़ी देर बैठिए। मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। यह क्या हो रहा है ?

[हिन्दी]

क्या कर रहे हैं आप लोग, आप बैठ जायें।

[अनुवाद]

आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, कि पिछले कई वर्षों से सभा की यह परम्परा रही है कि बजट फरवरी के अन्तिम कार्य दिवस को सायंकाल 5 बजे पेश किया जाता रहा है। कौल और शकधर द्वारा लिखित पुस्तक 'प्रैक्टिस एण्ड प्रोसिजर' के पृष्ठ 295 पर यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बजट फरवरी माह के अन्तिम कार्य दिवस को सायंकाल 5 बजे पेश किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, आपके सचिवालय ने लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित जो "हैण्डबुक फार मेम्बर्स" हम सदस्यों को दी है उसके पैरा 26 में यह कहा गया है :—'सामान्य बजट सामान्यतः वित्तमंत्री द्वारा फरवरी के अन्तिम कार्य दिवस को सायंकाल 5 बजे पेश किया जाता है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ?

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमान्, मुझे झुकाया/दबाया नहीं जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : मुझे भी नहीं झुकाया जा सकता। मुझे आप सबकी बात सुननी है और निर्णय मुझे लेना है, आपको नहीं।

प्रो० मधु दण्डवते : अन्त में श्रीमन्, मुझे यह बताते हुए खुशी है कि जब श्री ढिल्लों अध्यक्ष थे तब 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा बजट पेश करते समय कार्य प्रणाली सम्बन्धी कुछ त्रुटियां हुईं जिन्हें देखते हुए उन्होंने सभा को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया। लेकिन जब इस ओर ध्यान दिलाया गया कि अमुक-अमुक भूल ही गई थी तो सभा उसी दिन रात के 10 बजे समवेत हुई और सभी आवश्यक कार्यवाहियां करने के पश्चात् रात 10-55 पर वित्त विधेयक पेश किया गया (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप चिल्ला क्यों रहे हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन् मैं चाहता हूं कि परम्पराओं और प्रक्रियाओं की विफलताओं पर आप हमारी नाराजगी उन तक जाहिर करें और सरकार से अनुरोध करें कि वह यह भारी भूल न करे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हमें सभी परम्पराओं और प्रक्रियाओं की जानकारी है। लेकिन कुछ बातों में संशोधन करना होगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० मधु दण्डवते, कृपया बैठ जाइये...इससे कोई फर्क नही पड़ता। शान्ति बनाये रखें, मैं केवल एक की ही बात सुन सकता हूं, ...क्या आप..... ? (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : जब हम व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं तब वे शोर क्यों मचाते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, नियम 204 में कहा गया है :—

"प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण या प्राक्कलित आय और व्यय का विवरण (जिसे इसके पश्चात् 'आय व्ययक' कहा गया है) सभा में ऐसे दिन उपस्थित किया जायेगा, जैसा कि राष्ट्रपति निर्देश दें....."

अतः मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी बात है।

प्रो० मधु दण्डवते : परम्पराओं का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नियम के अनुसार चलता हूं। परम्परायें सभा द्वारा बनाई और तोड़ी जाती हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या परम्पराओं को सभा द्वारा तोड़ा भी जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। यह व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : परम्परायें कौन बनाता है ?

अध्यक्ष महोदय : हम बनाते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रधान मंत्री परम्परायें तोड़ रहे हैं। सभा ने परम्परायें नहीं तोड़ीं।

अध्यक्ष महोदय : नियम में कहा गया है.....

प्रो० मधु दण्डवते : आपने कहा है कि सभा परम्परा बना सकती है, उसे तोड़ सकती है और उसमें परिवर्तन कर सकती है। प्रधान मन्त्री परम्परा नहीं तोड़ सकते। सभा ही परम्परा में परिवर्तन कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी नियम को नहीं तोड़ रहा हूं। प्रोफेसर साहिब आप तैश में नहीं आइए। हम सब नियमों से बंधे हुए हैं। नियम बहुत स्पष्ट हैं। मैं नियमों के अनुसार ही कार्य करूंगा। मैं उनका पालन करूंगा। नियमों की पुस्तक में जो कहा गया है मैं उसका पालन करूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : यह सभी लोकतांत्रिक परम्पराओं के विरुद्ध है।

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : अध्यक्ष महोदय.....

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्रीमन्, आप इस प्रश्न पर निर्णय दें। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप समझते हैं कि हमें झुकाया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहिब, यह चिल्लाना सही नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : अगर हमें आपातकाल में नहीं झुकाया जा सका तो इस आवाज से भी नहीं झुकाया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रधान मंत्री बोलेंगे।

5.08 म० प०

सामान्य बजट, 1987-88

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : महोदय, मैं वर्ष 1987-88 का बजट प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं।

2. उनतीस वर्ष पहले देश का बजट प्रस्तुत करते हुए पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इस सदन में कहा था :

> "हम जिन परिस्थितियों में रह रहे हैं और हमारे देश को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें देखते हुए हम कोई गतिहीन अथवा आत्मसंतुष्टिपूर्ण दृष्टिकोण नहीं अपना सकते अथवा ऐसे बोझ से नहीं बच सकते जो कुछ गति के साथ प्रगति करने के हमारे मार्ग में अवश्यम्भावी है.....
>
> हमें अपने सभी साधनों की संरक्षित करके, उत्पादन बढ़ा कर तथा उत्तरोत्तर और अधिक समतापूर्ण वितरण सुनिश्चित करने के लिए कोशिश करके अपने सुनियोजित विकास के वास्ते अपनी पूरी ताकत से प्रयत्न करना है और इस प्रकार अपने

देश की विशाल जनता के स्तरों को ऊंचा उठाने का प्रयास करना है।"

आज हम उन्हीं उद्देश्यों का अनुसरण कर रहे हैं।

3. अब जब हमने कार्यभार संभाला था तो हम भाग्यशाली थे कि हमें इन्दिरा जी से सुदृढ़ अर्थव्यवस्था उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुई। 1979-80 की कठिन स्थिति के बाद, मुद्रास्फीति की दर को तेजी से नीचे ला दिया गया था। विकास की दर में वृद्धि हुई और आधारभूत ढांचे को फिर से मजबूत बनाया गया। हमने इन सफलताओं को बनाये रखा है और उन क्षेत्रों में सुधार की प्रक्रिया आरम्भ की है, जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी। मुझे विश्वास है कि इसे हम काफी सीमा तक प्राप्त कर सके हैं।

4. हमारा प्रधान उद्देश्य गरीबी को दूर करना और एक सुदृढ़, आधुनिक, आत्म-निर्भर और स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। इन दो वर्षों में हमने निर्धनता को दूर करने के लिए पूरे जोर से काम शुरू किया है। पिछले बजट में गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों के लिए निर्धारित प्रत्यक्ष परिव्ययों में भारी वृद्धि की गई थी। अगस्त में 20 सूत्री कार्यक्रम (1986) की उद्घोषणा की गई। खाद्य के ऊंचे भण्डारों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों का और विस्तार किया गया। जनजातीय क्षेत्रों को 20 लाख मीट्रिक टन अनाज अत्यन्त रियायती दरों पर मुहैया किया गया। हमने नगरों में बसने वाले गरीब लोगों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के प्रयोजन से एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की। मैंने अपने देश के सबसे ज्यादा पिछड़े और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया और वहां पर चल रहे कार्यों को देखा। लोगों से प्रत्यक्ष बात करने पर मुझे पता चला है कि अभी कितना काम और ज्यादा करना बाकी है। मुझे विश्वास है कि हम गरीबी को दूर करने के लिए जो कठिन संघर्ष कर रहे हैं उसमें हमें काफी सफलता मिली है।

5. कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। गरीबी को दूर करने के लिए इस क्षेत्र का विकास अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हमारे किसानों, कृषि प्रौद्योगिकीविदों और वैज्ञानिकों ने, खाद्यान्नों के एक आयातकर्ता और जीवन के सीमान्तिक स्तर पर रह रहे हमारे देश को आत्म-निर्भर बना दिया है। हम उन पर गर्व करते हैं। हम उन्हें बधाई देते हैं।

6. हमने उन नीतियों को और भी मजबूत बनाया है जो इतनी कामयाब साबित हुई हैं। हम अपने किसानों को उनकी उपज के लिए लाभदायक मूल्य दिलवाने और उनके लिए अधिक मात्रा में पानी, बिजली, बीज, उर्वरक और ऋण उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध हैं। कमजोर मानसून वर्षा के बावजूद अनाज का उत्पादन 15 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक होगा। हमने अपने किसानों को और ज्यादा प्रोत्साहन दिए हैं, ताकि चीनी और खाद्य तेलों के आयात पर हमारी निर्भरता कम हो सके। उन्होंने भी बहुत शानदार काम किया है।

7. किन्तु मुझे कृषि क्षेत्र के श्रमिकों के बारे में चिन्ता है। कृषि श्रमिकों को शोषण का सामना करना पड़ता है। सरकार एक राष्ट्रीय ग्रामीण श्रमिक आयोग की स्थापना करेगी। यह आयोग हमारे समाज के इस कमजोर वर्ग की काम-काज की स्थितियों का अध्ययन करेगा और उनकी सुरक्षा के लिए सामाजिक कानूनों के कार्यान्वयन को भी देखेगा।

8. उद्योग धन्धे उन्नति कर रहे हैं। छठी आयोजना में उद्योगों के आधुनिकीकरण और औद्योगिक निवेश के संवर्धन के लिए बड़े उपाय शुरू किए गए थे। सातवीं आयोजना में हमारी नीति इन्हीं उपायों की नींव के आधार पर औद्योगिक कार्य-निष्पादन में और सुधार करने की है। हम अनुकूल स्तरों पर किये जाने वाले उत्पादन के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ को बढ़ावा देने और आधुनिक प्रौद्योगिकी का समावेश करने तथा उत्पादकता में वृद्धि के लिए पहले से ज्यादा प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न करने, लागतों में कमी करने और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। हमने छोटे पैमाने के एककों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों में वृद्धि की है। अब इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि इन नीतियों के अर्थ-व्यवस्था पर प्रत्याशित प्रभाव पड़ रहे हैं।

9. हमारे औद्योगिक आधार का विस्तार हुआ है। नए उद्योग स्थापित हुए हैं। लघु उद्योग क्षेत्र का तेजी से विस्तार हुआ है। बड़ी संख्या में नये रोजगारों का सृजन किया गया है। 1984-85 में आरम्भ होने वाले तीन वर्षों में उद्योग-धन्धों की वृद्धि की दर औसतन प्रति वर्ष आठ प्रतिशत से ज्यादा होने की सम्भावना है। पिछले 20 वर्षों में इतनी वृद्धि कभी नहीं हुई।

10. हमने कर सुधार के महत्वपूर्ण काम को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। हमारे कर कानून और नियम बहुत जटिल हो गए थे। बड़ी मात्रा में करों की चोरी होती थी। इनमें सुधार अत्यन्त आवश्यक था। पिछले दो वर्षों में हमने राजकोषीय प्रणाली में जो सुधार किए हैं वे बहुत ही व्यापक और सफल रहे हैं। हमने कर की दरों और कर संरचना को तर्कसंगत बनाया है। हमने कानूनों और प्रक्रिया को सरल बना दिया है। हमने बिना किसी भय अथवा पक्षपात के इन कानूनों को कठोरता से लागू किया है। इससे ईमानदार करदाता को मदद मिली है, और पहले की अपेक्षा अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।

11. सरकारी क्षेत्र हमारी औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था का मेरुदण्ड है। मुझे यह भी विश्वास है कि हमारे सरकारी क्षेत्र के उद्यम विश्व के किसी भी उद्यम के समान कुशल बन सकते हैं मुझे यह कहते हुए खुशी है कि सरकारी क्षेत्र के आधारभूत उद्योग स्पष्ट रूप से बेहतर कार्य निष्पादन कर रहे हैं। कोयला, बिजली तथा रेलवे में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। तापीय विद्युत के उत्पादन में जो सुधार हुआ है वह खास तौर पर सराहनीय है। चालू वर्ष में संयंत्र भार अनुपात 1976-77 से लेकर अब तक के अनुपात से सर्वाधिक है। आधारभूत तंत्र के संचालन में जो सुधार आया है, उसे प्रबन्ध व्यवस्था में परिवर्तन करके और कार्यशाला के वास्तविक कार्य-निष्पादन को बेहतर बना कर संभव बनाया जा सका है।

12. सरकार, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य-निष्पादन में और सुधार लाएगी। हम उनकी स्वायत्तता को मजबूत करेंगे तथा उन्हें परिणामों के लिए उत्तरदायी ठहरायेंगे। सरकार, सरकारी क्षेत्र के संबंध में संसद के सम्मुख एक श्वेत-पत्र प्रस्तुत करेगी।

13. एक राष्ट्र के रूप में हर अपनी आर्थिक उपलब्धि से सन्तुष्ट हो सकते हैं। एक ऐसी अवधि में जबकि अनेक विकासशील देशों में वृद्धि की दरों में तेजी से कमी आई है, हम अपनी विकास दर को तेज करने व प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में समर्थ रहे हैं। हम ऋण सम्बन्धी समस्याओं से बचे हैं और हमने मुद्रास्फीति को नियन्त्रण में रखा है। हमारे खाद्यान्नों के

भण्डार तथा विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां संतोषजनक हैं। इनसे पर्याप्त संबल मिलता है। किन्तु हम इसी से सन्तुष्ट नहीं हो सकते। विश्व का माहौल, राजनीतिक और आर्थिक दोनों प्रकार का, प्रतिकूल बना हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण घरेलू समस्यायें भी हैं जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है।

14. सरकारी खर्च में तेजी से वृद्धि के कारण हमारे राजकोषीय संतुलन पर भारी दबाव पड़ रहा है। हाल ही में, हमें अपने रक्षा व्यय में वृद्धि करनी पड़ी। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हम कोई भी प्रयास बाकी नहीं छोड़ेंगे और न ही किसी त्याग से पीछे रहेंगे। इसके साथ ही विकास के लिए दबाव बहुत अधिक है। इस समय किसी भी महत्वपूर्ण निवेश में शिथिलता बरतने से, उसका भविष्य में बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे कार्यक्रमों पर खर्च करना, जिससे गरीबों को सीधे ही लाभ मिलता है, और खाद्यान्नों के लिये आर्थिक सहायता देना एक अनिवार्य सामाजिक आवश्यकता है। वर्तमान वर्ष के दौरान, वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के फलस्वरूप हमें खर्च सम्बन्धी अतिरिक्त प्रतिबद्धतायें निभानी पड़ीं। सूखे अथवा बाढ़ से पीड़ित अनेक राज्यों को अधिक राहत और अनुदान देना भी आवश्यक हो गया।

15. कुछ भी हो, यह स्पष्ट है कि हमें अपने खर्च को साधनों के अन्दर ही सीमित देखने के लिए कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे। सरकार ऐसे निर्णय लेने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। हमें अपनी व्यय सम्बन्धी नीति की बारीकी से समीक्षा करने की आवश्यकता है। जहां-तहां कुछ कटौती करने से काम नहीं चलेगा। इससे पहले के अस्थायी उपायों और यत्र-तत्र कटौतियों के लाभ केवल अस्थायी रहे हैं और उनके टिकाऊ परिणाम प्राप्त नहीं हो सके हैं। व्यर्थ, आडम्बरपूर्ण अथवा अनुत्पादक खर्च की कोई गुंजाइश नहीं है। राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें इकट्ठे होकर व अधिक परिश्रम से कार्य करना होगा।

16. मूल्य-व्यवस्था में हमारी अच्छी उपलब्धि रही है। तथापि, मूल्यों की स्थिति के संबंध में अत्यन्त निष्क्रिय दृष्टिकोण अपनाना एक गलती होगी। एक विकासशील अर्थ-व्यवस्था में मांग और पूर्ति का संतुलन सदा ही नाजुक रहा है। किसी भी बाहरी अथवा आन्तरिक अव्यवस्था से कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि मूल्यों की स्थिति पर सावधानीपूर्वक निगरानी रखी जाये।

17. हमारे भुगतान संतुलन पर दबाव बना हुआ है। हमें इसका अन्दाजा था और हमने आयातों में वृद्धि को कम करने तथा निर्यात को बढ़ाने के लिए बहुत से कदम उठाये थे। इनके अच्छे परिणाम निकले हैं। चालू वर्ष के पहले 9 महीनों में निर्यातों में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि आयातों में केवल लगभग 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। व्यापार घाटा पिछले वर्ष की तुलना में 1000 करोड़ रुपए कम है। किन्तु काफी और किया जाना बाकी है। यह सुधार अन्ततः तेल की कीमतों में गिरावट के कारण है और हम अगले वर्ष इस पर भरोसा नहीं कर सकते। सरकार बाहरी मोर्चे पर पूर्णतः सतर्क रहेगी।

18. पिछले दो वर्षों में शुरू की गई नीतियों के परिणामों से पता चलता है कि हमारी दिशा सही है। मेरा प्रस्ताव इस वर्ष के बजट में कुछ चुने हुए क्षेत्रों में एक नया मोड़ देने का है जिनसे अर्थ-व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और हमारे सातवीं आयोजना के उद्देश्यों को बढ़ावा मिलेगा। इनमें सर्वप्रथम शिक्षा है।

19. बजट ने नई शिक्षा नीति को व्यापक और विस्तृत चर्चाओं के पश्चात स्वीकार किया है। इस नीति का प्रतिपादन राष्ट्रीय समिति से किया गया है। यह नीति निर्धनता से संघर्ष करने के लिए एक सशक्त साधन है। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लोगों को इस नीति के माध्यम से अवसरों की समानता की अनुभूति प्राप्त होती है जिसकी गारण्टी हमारे संविधान द्वारा दी गई है। इसमें हम अपनी विरासत की सुरक्षित रख सकेंगे तथा अपने देश के युवाओं की रचनात्मक शक्ति को कार्यरूप में परिणत कर सकेंगे यह विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों, अलग-अलग धर्मों को मानने वाले और अलग-अलग सांकृतिक परम्पराओं से जुड़े लोगों को, जोकि भारत की मिली-जुली संस्कृति का ही अंग हैं, एक सूत्र में पिरोएगी। सभी क्षेत्रों में, अर्थात विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला, मानविकी तथा दार्शनिक सिद्धान्तों के क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करना ही इस नीति का उद्देश्य है।

20. नई नीति को एक अच्छी शुरूआत प्रदान करने के लिए मैंने शिक्षा के लिए 800 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं जबकि इसकी तुलना में 1986-87 में 352 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे। यह विशाल वृद्धि देश में सैक्षिक तबदीली लाने के हमारे संकल्प की दिशा में एक कदम है।

21. प्रमुख रूप से राज्य सरकारें शिक्षा के लिए उत्तरदायी हैं इन संसाधनों से राज्य सरकारों के प्रयासों को समर्थन प्राप्त होगा।

22. गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों की गति को बनाए रखा जाएगा। वर्ष 1985-86 में, राज्यों को, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए दस लाख मी. टन खाद्यान्न अनुदान स्वरूप दिए गए जिसके फलस्वरूप 620 लाख मानव दिवसों का अतिरिक्त रोजगार पैदा हुआ। वर्ष 1986-87 में खाद्यान्नों का अतिरिक्त आवंटन बढ़ा कर बीस लाख मी. टन कर दिया गया जिससे 1280 लाख मानव दिवसों का अतिरिक्त रोजगार पैदा हुआ। मेरा प्रस्ताव रोजगार के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित करने के कार्यक्रम को जारी रखने का है।

23. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को और सुदृढ़ किया जाएगा। इस वर्ष के दौरान 32 लाख से अधिक परिवारों को इससे लाभ पहुंचने की आशा है। आगामी वर्ष के दौरान, 310 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की जा रही है। राज्यों के आनुपातिक आवंटनों और बैंकिंग क्षेत्र के उधारों की मिलाकर इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों का कुल प्रवाह इस आवंटन की तुलना में 4 से 5 गुना तक अधिक होगा। 1987-88 में ग्रामीण विकास विभाग के लिए कुल आयोजनागत परिव्यय 2,000 करोड़ रुपये से अधिक होगा। यह लगभग 3,600 करोड़ रुपये के छठी आयोजना के कुल व्यय के तुलनीय है।

24. आवासन यानी मकानों के निर्माण के कार्य की हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। यह एक बुनियादी जरूरत है। इससे रोजगार भी पैदा होता है। हम मकान बनाने के एक व्यापक कार्यक्रम का, विशेष रूप से आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए आवास बनाने के कार्यक्रम का प्रस्ताव रखते हैं।

25. केन्द्रीय सरकार ने इन्दिरा आवास योजना के लिए 1987-88 में फिर 125 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है। इस योजना के अन्तर्गत सातवीं आयोजना की अवधि में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 10 लाख मकान बनाए जायेंगे। हमने फैसला किया है कि राज्य सरकारों को यह छूट होगी कि वे इस कार्यक्रम के तहत उन्हें आवंटित राशि का उपयोग, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए मकानों के वास्ते ऋणों के लिए इन्दिरा आवास योजना सोसाइटियां स्थापित करने के लिए सीड पूंजी के रूप में कर सकती हैं।

26. आवासन के लिए निधियों की व्यवस्था करने के वास्ते एक नई वित्तीय व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा। शीर्ष स्तर पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 100 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी के साथ एक नए राष्ट्रीय आवासन बैंक की स्थापना की जाएगी। यह बैंक स्थानीय तथा क्षेत्रीय, दोनों ही स्तरों पर, आवासन संस्थाओं का प्रवर्तन करेगा। ब्यौरों के संबंध में रिजर्व बैंक अलग से घोषणा करेगा।

27. राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में आवास से संबंधित कानूनों में, जिनमें शहरी भूमि (सीमा और विनियमन) अधिनियम 1976 भी शामिल है, अनेक परिवर्तन करने का सुझाव दिया है। इस महत्वपूर्ण सामाजिक कानून का उद्देश्य, शहरी क्षेत्रों में अधिशेष भूमि का सार्वजनिक हित के लिए उपयोग करना था। किन्तु प्राप्त परिणाम निराशाजनक रहे हैं। यद्यपि 10 वर्ष बीत गए हैं किन्तु अधिशेष घोषित की गई भूमि के एक प्रतिशत के आधे से भी कम भाग को ही वस्तुतः निर्माण के लिए उपयोग में लाया गया है। इसी बीच भूमि की कमी के कारण शहरी क्षेत्रों में किरायों में और सट्टेबाजी के लाभों में बहुत वृद्धि हुई है। इसका गरीबों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मैंने शहरी विकास मंत्रालय से कहा है कि वह आयोग की शिफारिशों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त विधायी प्रस्ताव तैयार करे और उन्हें सदन के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत करे।

28. आयोग ने किराया नियन्त्रण अधिनियमों में कतिपय परिवर्तन किए जाने की शिफारिशें भी की हैं जिनसे आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लोगों की सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ नए मकानों के निर्माण के लिए पर्याप्त प्रोत्साहनों की व्यवस्था हो सकेगी। इन परिवर्तनों से कुछ अरसे में मकानों की उपलब्धता में सुधार होने से किराये भी कम हो जायेंगे। आयोग की इस रिपोर्ट को राज्य सरकारों के पास कार्यान्वयन के लिए भेजा जाएगा।

29. बाद में अपने भाषण में, मैं आयकर दाताओं के लिए उनके द्वारा विनिर्दिष्ट संस्थाओं से लिए गये आवास ऋणों के सम्बन्ध में कुछ रियायतों की घोषणा करूंगा।

30. पिछले दो वर्षों के दौरान, सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिये अनेक कदम उठाये हैं। इनमें श्रमिकों को देय राशि के संरक्षण के लिये कानून सम्बन्धी परिवर्तन, श्रमिकों के लिए नई स्टाक आप्शन स्कीम प्रारम्भ करना, बोनस अदायगी के लिये पात्रता सीमा में वृद्धि, सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि, श्रमिकों के लिए मकानों

में निवेश करने के लिए कर सम्बन्धी रियायत, श्रमिक भविष्य निधियों पर दिए जाने वाले ब्याज की दर में वृद्धि और आयकर से छूट के लिए मकान किराया भत्ते की सीमा को समाप्त करना शामिल है। और उपाय के रूप में, आयकर अधिनियम में कुछ कानून सम्बन्धी परिवर्तन करने का प्रस्ताव है ताकि भविष्य निधि, ई. एस. आई. और उत्पादन के रूप में श्रमिकों को प्राप्त होने वाली राशि को संरक्षण प्रदान किया जा सके।

31. छोटी बचतें जुटाने में हमने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। सरकार द्वारा पिछले वर्ष गठित विशेषज्ञ दल ने वैयक्तिक बचतों सम्बन्धी कर प्रोत्साहनों की वर्तमान योजना में कतिपय कठिनाइयों का उल्लेख किया है। एक महत्वपूर्ण कमी यह है कि आजकल सकल बचतों के लिये ही राजकोषीय रियायतें उपलब्ध हैं और बचत न करने के लिये कोई दण्ड नहीं है। इसलिए हमने ऐसी प्रणाली अपनाने की सिफारिश की है जिसमें निवल बचतों को प्रोत्साहन प्राप्त हो।

32. वास्तविक बचत के सिद्धांत के आधार पर मैं एक नई बचत योजना शुरू करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। संक्रमणकालीन समस्याओं से बचने के लिये यह योजना फिलहाल राष्ट्रीय बचत पत्रों तथा बचत के अन्य माध्यमों के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम की धारा 80 ग के अन्तर्गत उपलब्ध कर राहतों के अतिरिक्त होगी। इस नई योजना के अन्तर्गत जमा राशि के 50 प्रतिशत हिस्से पर अधिकतम 20,000 रुपये तक, आय-कर संबंधी कटौती मिलेगी। किन्तु जिस वर्ष इस रकम की निकासी की जाएगी, उस वर्ष ली जाने वाली राशि के 50 प्रतिशत भाग को करयोग्य आय में जोड़ दिया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत होने वाली प्राप्तियों का बंटवारा राज्यों के साथ भी किया जाएगा। इस नई बचत योजना का पूरा ब्यौरा, जिसे अगले वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किया जाएगा, अलग से घोषित किया जाएगा।

33. भारत में पूंजी बाजारों में पिछले कुछ वर्षों से अपार वृद्धि हुई है। वर्ष 1986-87 में पूंजी निर्गमों के लिए दी गई अनुमतियां 5000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई हैं, जबकि यह 1980-81 में लगभग 500 करोड़ रुपये थी। पूंजी बाजारों के स्वस्थ विकास के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि निवेशकर्ता के अधिकारों को पूर्णतः संरक्षण तैयार किया जाये और व्यापारिक कुप्रथाओं की रोका जाए। सरकार ने, पूंजी बाजारों के स्वस्थ विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्टाक एक्सचेंजों और प्रतिभूति उद्योग के विनियमन और नियमित कार्यचालन के लिए एक अलग बोर्ड गठित करने का निर्णय किया है।

34. पिछले वर्ष भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने छोटे निवेशकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए सामान्य शेयरों में निवेश करने के प्रयोजन से एक सांझी निधि की स्थापना की थी। निवेशकर्ताओं को चयन के लिए एक विस्तृत क्षेत्र उपलब्ध कराने की दृष्टि से भारतीय स्टेट बैंक भी एक ऐसी ही सांझी निधि की स्थापना करेगा। मैं भी बाद में कुछेक उपायों की घोषणा करूंगा जिनसे पूंजी बाजारों के विकास में योगदान मिलेगा।

35. मैंने औद्योगिक विकास की गति में तेजी लाने की बात कही है। सरकार का मुख्य प्रयास भारत के औद्योगिक ढांचे को आधुनिक बनाना है। कार्यकुशलता और उत्पादकता दोनों में ही वृद्धि की जानी है। मौजूदा प्रौद्योगिकी का स्तर भी बढ़ाया जाना है। नई प्रौद्योगिकी को

अपनाया जाना है और उसका स्वदेश में ही विकास किया जाना चाहिए। लागतों को कम करना भी बहुत जरूरी है। ये सभी उद्देश्य एक मध्यावधिक आधार के ढांचे पर ही सफलतापूर्वक पूरे किये जा सकते हैं।

36. सरकार अलग-अलग उद्योगों की गहराई से समीक्षा कर रही है। अनेक महत्वपूर्ण उद्योगों, जैसे कि वस्त्र उद्योग, जूट, चीनी, औषध, इलैक्ट्रानिकी तथा साफ्टवेयर के सम्बन्ध में नई नीतियां घोषित की गई हैं। हमने वस्त्रोद्योग आधुनिकीकरण निधि और जूट आधुनिकीकरण निधि की भी स्थापना की है। इससे इन पारंपरिक उद्योगों के आधुनिकीकरण में सुविधा होगी, जो पर्याप्त संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। जूट उद्योग के लिए एक अन्य विशेष विकास निधि की स्थापना की जा रही है। इससे उत्पादकों और श्रमिकों, विविधीकरण, अनुसन्धान विकास को लाभ पहुंचेगा।

37. सरकार चुने हुये उद्योगों के सम्बन्ध में समग्र नीति विषयक संरचना की व्यवस्थित ढंग से समीक्षा जारी रखेगी और विकास व आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

38. आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के हमारे प्रयासों को पूंजीगत वस्तु उद्योग की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस उद्योग की प्रगति में और तेजी लाने के उद्देश्य से मेरा प्रस्ताव उपायों का एक पैकेज लागू करने का है। प्रथमतः, मशीनों के लिए, जिनमें सामान्य परियोजना आयात शामिल हैं, आयात शुल्क की दरों को समायोजित किया जा रहा है। दूसरे, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे कि विद्युत, भारी उपस्कर और वस्त्रोद्योग मशीनरी के स्वदेशी विनिर्माण की लागत को कम करने के उद्देश्य से, कुछ प्रकार के आयातित इस्पात की लागत कम की जा रही है। इन प्रस्तावों के बारे में मैं बाद में कुछ और कहूंगा।

39. तीसरे, चुने हुए पूंजीगत वस्तु उद्योगों में प्रौद्योगिकी उन्नयन का एक विशेष कार्यक्रम, वित्तीय संस्थाओं द्वारा इस योजना के अन्त तक की तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रारम्भ किया जाएगा। इसके अन्तर्गत, प्रारम्भ में बिजली की मशीनरी, जिसमें विद्युत उपस्कर तथा बिजली की मोटरें शामिल हैं, फाउन्ड्रीज तथा मशीनरी पुर्जे शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन क्षेत्रों में आधुनिकतम प्रौद्योगिकी लागू करना, निरन्तर उन्नयन के लिए स्वदेशी अनुसन्धान और विकास सुविधाओं में सुधार करना तथा लागतों में कमी लाना है। ब्यौरे, अलग से, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा घोषित किए जायेंगे।

40. हमारे विकास में कृषि से सम्बद्ध उद्योगों की एक विशेष भूमिका है। इनसे कृषि उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध होता है और हमारे किसानों की आमदनी में वृद्धि होती है। मैंने कृषि-आधारित दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योगों, यथा जूट और वस्त्र, के आधुनिकीकरण के लिए किए गए उपायों का पहले ही उल्लेख किया है। पिछले वर्ष के बजट में, बनास्पती में कुछ स्वदेशी तेलों, जैसे कि चावल की भूसी का तेल, महुआ का तेल और बिनौले का तेल आदि का उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण कर सम्बन्धी प्रोत्साहनों की घोषणा की गई थी। अपने भाषण में मैं कुछ प्रस्तावों की घोषणा करूंगा। मेरा प्रस्ताव खाद्य संसाधन उद्योगों के विकास को भी प्रोत्साहित करने का है, जिनसे किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ होगा। कुछ अन्य प्रस्ताव हैं जिनसे कपास और ऊन को लाभ होगा।

41. पिछले वर्ष, सरकार ने निर्यात प्रधान उद्योगों के समर्थन के लिए अनेक उपाय किए थे। नकद प्रतिपूर्ति समर्थन और सीमा-शुल्क वापसी की नई योजनाएं आरम्भ की गई हैं। चुने हुए निर्यात उद्योगों के लिए पूंजी उपस्कर पर आयात शुल्क में कटौती कर दी गई है। ब्याज की दरों को कम कर दिया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर विनिर्दिष्ट कच्चे माल की व्यवस्था की जा रही है। राजकोषीय प्रोत्साहन भी प्रदान किए गए हैं। निर्यातों में अब वृद्धि हो रही है। इस बजट में, मैं निर्यात उत्पादन में वृद्धि करने के सम्बन्ध में कुछ और उपायों का प्रस्ताव करूंगा।

42. माननीय अध्यक्ष रहोदय, मुझे आशा है कि इन प्रस्तावों तथा अन्य बजट प्रस्तावों से हमारे समाज की उत्पादक शक्तियों को ताकत मिलेगी। सातवीं आयोजना, व वस्तुतः हमारी सभी पंचवर्षीय आयोजनाओं की मूलभूत धारणा यह है कि विकास तथा वृद्धि, गरीबी को दूर करने के वास्तविक उपाय हैं। गरीबी को दूर करने के लिए हमारे समाज में सीधे उपाय करना अपरिहार्य है। तथापि, ऐसे उपायों को तीव्र विकास से ही संबल मिल सकता है। पं० जवाहरलाल नेहरू ने इस सदन में दूसरी पंचवर्षीय आयोजना प्रस्तुत करते हुए हमें यह संदेश दिया था :

> "इस लिए हमें समानता पर और, असमानताओं को दूर करने पर अधिक जोर देना है और सदा यह याद रखना है कि समाजवाद का अर्थ गरीबी को बांटना नहीं है। असली बात यह है कि सम्पत्ति और उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए..."

43. हम केवल तभी तेजी से प्रगति कर सकते हैं जबकि हम आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करें। बेरोजगारी ओर गरीबी की समस्याओं से निपटने का यही एक प्रभावी तरीका है। जो बुद्धिमान व्यक्ति सामाजिक न्याय के नाम में आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग की आलोचना करते हैं उन्हें पण्डित जी के शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, जिन्होंने अपने उसी भाषण में कहा था :

> "यह नहीं समझिए कि प्रौद्योगिकीय प्रगति के बिना हम बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर लेंगे... यदि भारत को प्रगति करनी है, तो भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति करनी चाहिए और भारत को नवीनतम तकनीकों का उपयोग करना चाहिए, सदा इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि निःसदेह ऐसा करने में, बीच की अवधि के दौरान, जो सदा आती है, दुख अथवा कठिनाई नहीं पैदा होनी चाहिए।"

44. तो यह है हमारी बुनियादी कार्य-नीति, अर्थात निरन्तर विकास का एक ऐसा ढांचा, जो भारतीय कृषि और उद्योग के त्वरित आधुनिकीकरण पर आधारित हो। मैं भारत में समाजवाद के लिए आयोजन करने के प्रति वचनबद्ध हूं, उस समाजवाद के प्रति, जो हमारी प्रकृति के अनुरूप हो, लेकिन जो एक ऐसा समाजवाद हो, जिसका बुनियादी अर्थ असमानताओं को दूर करना और समान अवसर उपलब्ध कराना है। यह है वह पैमाना जिसके अनुसार मैं सभी नीतियों और कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना चाहता हूं।

45. अब मैं 1986-87 के संशोधित अनुमानों और 1987-88 के बजट अनुमानों का उल्लेख करूंगा।

संशोधित अनुमान, 1986-87

46. 1986-87 के बजट अनुमानों में कुल 52,883 करोड़ रुपये के खर्च की व्यवस्था थी। बजट के बाद की अनेक घटनाओं के कारण वर्तमान वर्ष में खर्च मूल रूप में अनुमानित खर्च से 7,445 करोड़ रुपये अधिक होने की सम्भावना है।

47. मैं ब्यौरे बता कर सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि इनका विवरण बजट दस्तावेजों में दिया गया है। मैं केवल कुछेक मदों का जिक्र करूंगा।

48. आयोजना-भिन्न व्यय में, चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप होने वाले खर्च सहित, 5,508 करोड़ रुपये की वृद्धि होने की सम्भावना है। बफर स्टाक को कम रखने की लागत को कम करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को नरम शर्तों पर, 1,200 करोड़ रुपये के ऋण दिए जा रहे हैं। ये इसके बराबर के बैंक-वित्त का स्थान लेंगे। विभिन्न कारणों से, जिनकी जानकारी सदन को है, हमने रक्षा व्यय में 1,466 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। ब्याज सम्बन्धी अदायगियां 800 करोड़ रुपये अधिक होंगी।

49. आयोजना खर्च मूल अनुमानों में 1,937 करोड़ रुपये से अधिक होने की सम्भावना है। केन्द्रीय आयोजना के लिए बजटीय समर्थन 13,617 से बढ़कर 14,792 करोड़ रुपए हो जाने की सम्भावना है। 1,175 करोड़ रुपए की वृद्धि मुख्यतः दूरसंचार, रेलवे, पेट्रलियम, खान, वस्त्रोद्योग और परमाणु उर्जा क्षेत्रों पर है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता 762 करोड़ रुपए अधिक होगी जिसका मुख्य कारण प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त राज्यों को 510 करोड़ रुपये की अतिरिक्त अग्रिम आयोजना सहायता दिया जाना है। आयोजना और आयोजना-भिन्न, दोनों को मिलाकर, राज्यों को प्राकृतिक आपदाओं के लिए सहायता 150 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों की तुलना में 640 करोड़ रुपए अधिक होगी।

50 जहां तक प्राप्तियों का सम्बन्ध है, निवल कर राजस्व, 22,643 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों की तुलना में 1,564 करोड़ रुपये अधिक होने का अनुमान है। यह एक बड़ी वृद्धि है जो हमारे कर-कानूनों को कठोरता से लागू करने से सम्भव हुई है। कर-भिन्न राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियां, जिनमें तेल क्षेत्र का अंशदान शामिल है, 27,863 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जबकि बजट अनुमान 26,537 करोड़ रुपये था। कुल प्राप्तियां 52,043 करोड़ रुपये होंगी तथा कुल खर्च 60,328 करोड़ रुपये होगा। बफर स्टाक के लिए बैंक क्रेडिट के स्थान पर 1,200 करोड़ रुपये के सरकारी ऋणों सहित, वर्तमान वर्ष में 8,285 करोड़ रुपये का बजटीय घाटा होने का अनुमान है।

51. यह घाटा काफी अधिक है, और मैं इसे अच्छा नहीं समझता। मैंने फैसला किया है कि 1987-88 के बजट अनुमानों में घाटे को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। कुछ पूरक मांगें अपरिहार्य होती हैं। मैं मंत्रालयों और केन्द्रीय सरकार के अन्य संगठनों को यह सुनिश्चित

करने के अनुदेश दे रहा हूं कि अतिरिक्त मांगों को समतुल्य बचत करके अथवा अधिक साधन जुटाने के उपायों द्वारा प्रतिसंतुलित किया जाए। हम सरकारी क्षेत्र के एककों के वित्तीय कार्य-निष्पादन की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए करेंगे कि आन्तरिक साधन निर्माण के लक्ष्य प्राप्त किए जाएं। मैं इन उपायों के क्रियान्वयन को मानीटर करने के लिए मंत्रिमण्डल की व्यय सम्बन्धी समिति का गठन कर रहा हूं।

52. कुल मिलाकर, आर्थिक स्थिति अच्छी है और खाद्यान्नों के भंडारों और विदेशी मुद्रा भण्डार की स्थिति काफी सन्तोषजनक है। हम विवेकपूर्ण मांग और पूर्ति प्रबन्ध के जरिए कीमतों सम्बन्धी समूची स्थिति को काबू में रखने में सफल रहे हैं। व्यय पर नियंत्रण रखने के साथ-साथ, हम अतिरिक्त नकदी को घटाने और संवेदनशील वस्तुओं, विशेष रूप से खाद्यान्नों, चीनी और खाद्य तेलों की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए पहले से ही कदम उठाते रहेंगे।

53. मौद्रिक प्रणाली के कार्यकरण सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सलाह करके यह फैसला किया गया है कि अब से आगे बजट दस्तावेजों में बजटीय घाटा और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार को दिए गए ऋणों में हुआ निवल परिवर्तन दिखाया जाए। उपरोक्त से सरकार के राजकोषीय क्रियाकलापों के मौद्रिक प्रभाव को आंकने का अधिक सही मापदण्ड सामने आता है। मौजूदा जानकारी के अनुसार, अनुमान है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार को दिए गए निवल ऋण में 1986-87 में 7,250 करोड़ रुपये का परिवर्तन होगा, जो बजटीय घाटों से कम है।

1987-88 के बजट अनुमान

54. मौजूदा स्थिति में, मैंने 1987-88 में आयोजना की गति को बरकरार रखने और हमारी सीमाओं की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मैंने 1987-88 की केन्द्रीय आयोजना के लिए 24,622 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की है, जिसमें से 14,923 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजटीय समर्थन के रूप में की जाएगी। इतने परिव्यय से, हम आयोजना के पहले तीन वर्षों में सातवीं आयोजना के परिव्यय का लगभग 63 प्रतिशत भाग पूरा कर लेंगे। यह एक रिकार्ड है।

55. लेकिन हमें अब और भी अधिक प्रयत्न करने हैं ताकि हमारे द्वारा निवेश किए गए प्रत्येक रुपये से अपेक्षाकृत अधिक लाभ प्राप्त हो। भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति मात्र धन खर्च करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह जरूरी है कि सरकार किफायत करे। हमारे कार्यक्रमों में कमी किए जाने की आवश्यकता है।

56. इसलिए सरकार ने परियोजनाओं को समय पर क्रियान्वित करने, परियोजनाओं की लागत और उनके पूरा होने के समय को बढ़ने से रोकने और नए तरीकों तथा नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को उच्च प्राथमिकता दी है। क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं के संबंध में एक मानीटरिंग प्रणाली की स्थापना की गई है।

57. योजनाओं के क्रियान्वयन की मानीटरिंग करना एक अन्य क्षेत्र है, जिसकी ओर

अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। लेखा शीर्षों और आयोजना के प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले विकास शीर्षों के बीच परस्पर समरूपता लाने के उद्देश्य से भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के साथ सलाह करते हुए 1-4-1987 से संशोधित लेखापालन संबंधी वर्गीकरण लागू किया जा रहा है। इससे आयोजना की प्रक्रिया सुदृढ़ होगी और बेहतर मानीटरिंग करने में सहायता मिलेगी। कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और उनसे प्राप्त होने वाले लाभों के सम्बन्ध में आधारभूत स्तरों से समय पर पृष्ठ-जानकारी (फीड बैक) प्राप्त करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

58. केन्द्रीय आयोजना में उन कार्यक्रमों को ऊंची प्राथमिकता प्रदान की गई हैं, जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करने में सहायता मिलती है। जैसा कि मैंने पहले बताया है, शिक्षा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, ग्रामीण जल पूर्ति और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न करने के लिए खाद्यान्नों के भण्डार का इस्तेमाल करने पर विशेष जोर दिया गया है।

59. गरीबी को कम करने में कृषि विकास की बड़ी प्रमुख भूमिका है। केन्द्रीय आयोजना में, कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली और उन्नत किस्मों के बीजों की बुवाई के क्षेत्र में वृद्धि करके उत्पादकता बढ़ाने, नई प्रौद्योगिकी का तेजी से अन्तरण करने, फसलों की गहनता बढ़ाने, फसल पद्धति में विविधता लाने और हानिकर कीटों और रोगों का नियंत्रण करने पर पहले की तरह अधिक जोर दिया गया है। इस समय क्रियान्वित किए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं : विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम, राष्ट्रीय तिलहन परियोजना, राष्ट्रीय जल विभाजक क्षेत्र विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय दाल विकास परियोजना। ये परियोजनाएं विशिष्ट कृषि समस्याओं को हल करने के लिए तैयार की गई हैं और इनका हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत प्रभाव पड़ रहा है।

60. कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों में सिंचाई और उर्वरक दो प्रमुख घटक हैं। सिंचाई के क्षेत्र में, निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने पर और सिंचाई क्षमता तथा उसके उपयोग के बीच के अन्तर को कम करने को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। चालू वर्ष में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ कर लगभग 70 लाख मीट्रिक टन हो जाएगा, जबकि पिछले वर्ष लगभग 57 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का उत्पादन हुआ था। पारादीप में स्थित उर्वरक कारखाने में चालू वर्ष के दौरान उत्पादन शुरू हो गया है। अगले वर्ष विजयपुर और आंवला के उर्वरक कारखानों के, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 72 लाख मीट्रिक टन यूरिया की है, चालू हो जाने की सम्भावना है।

61. जहां तक वित्तीय परिव्यय का सम्बन्ध है, कुल केन्द्रीय आयोजना में बुनियादी ढांचों के क्षेत्रों, अर्थात ऊर्जा, परिवहन और संचार का हिस्सा 54 प्रतिशत से अधिक होगा। 1987-88 में, केन्द्र और राज्यों को मिला कर हम 4,880 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत-क्षमता का निर्माण कर लेंगे। जहां तक कोयले का सम्बन्ध है, प्रति श्रमिक-पारी (मैन-शिफ्ट) के उत्पादन 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 1987-88 में 18.36 करोड़ मीट्रिक टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य है, जबकि 1985-86 में 16.5 करोड़ मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ था।

62. छठी आयोजना की अवधि में हमें अपने क्रूड तेल के उत्पादन को बढ़ाकर लगभग तिगुना करने की सफलता मिली थी। चालू आयोजना के दौरान उत्पादन में अपेक्षाकृत धीमी गति से वृद्धि होने की संभावना है और नए तेल क्षेत्रों की खोज करने और उनके विकास के लिए निवेश में वृद्धि करना जरूरी है। अगले वर्ष समूचे पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए कुल 3,265 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

63. सदन का अधिक समय न लेने के उद्देश्य से मैंने 1987-88 की केन्द्रीय आयोजना की केवल कुछ ही प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख किया है। महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, युवा कार्य और खेल, कला और संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, सामाजिक वानिकी और सूचना और प्रसारण जैसे कई अन्य क्षेत्रों में सरकार ने कई नये कार्यों का सूत्रपात किया है, ताकि आयोजना को हमारी जनता के लिए अधिक सार्थक बनाया जा सके। इन कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भी, जिनमें भारी औद्योगिक परियोजनायें भी शामिल हैं, आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं।

64. मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 1987-88 के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का कुल आयोजना परिव्यय 19,537 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है जो चालू वर्ष के परिव्यय से 17 प्रतिशत अधिक है। हमने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा है, जिन्हें राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया है। अगले वर्ष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता देने के लिए 8,754 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जबकि इसकी तुलना में चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में 8,140 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

65. 1987-88 में रक्षा व्यय के बजट अनुमान 12,512 करोड़ रुपये के हैं। इससे हमारे बजटीय साधनों पर स्वाभाविक रूप से काफी बोझ पड़ा है, लेकिन सदन मुझसे सहमत होगा कि जहां तक देश की रक्षा का संबंध है, इस बारे में कोई जोखिम नहीं उठाया जा सकता। हमारी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति और मनोबल बहुत ऊंचा है। इस सदन की ओर से मैं अपने जवानों को समूचे राष्ट्र के सम्पूर्ण समर्थन का आश्वासन देता हूं।

66. अगले वर्ष ब्याज की अदायगियों की राशि, चालू वर्ष के 9,550 करोड़ रुपये की तुलना में, 10,650 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। खाद्य और उर्वरक सम्बन्धी आर्थिक सहायताओं की राशि के, जिसमें बकाया आर्थिक सहायता भी शामिल है, 3,910 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जबकि चालू वर्ष में यह राशि 3,893 करोड़ रुपये थी। अगले वर्ष के बजट में सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले अतिरिक्त महंगाई भत्ते में होने वाली सम्भावित वृद्धि और चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण पेंशन-प्रभारों में होने वाली वृद्धि को पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपये की एक मुश्त व्यवस्था शामिल है। सरकार ने, जो पेंशनभोगियों की कठिनाइयों के प्रति हमेशा संवेदनशील रही है, न्यूनतम पेंशन और परिवार पेंशन को बढ़ाकर 375 रुपये मासिक करने का फैसला किया है। इससे लगभग 6 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।

67. 1987-88 में कुल अनयोजना-भिन्न व्यय 39,266 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। अनुमान है कि अगले वर्ष राज्यों के हिस्से को घटाने के बाद 25,689 करोड़ रुपये का कर राजस्व प्राप्त होगा, जबकि चालू वर्ष में 24,207 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। कर-भिन्न राजस्व और और पूंजीगत प्राप्तियां, चालू वर्ष के 27,836 करोड़ रुपये की तुलना में 31,243 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इस प्रकार, कराधन की मौजूदा दरों पर कुल 56,932 करोड़ रुपये की प्राप्तियां होंगी, जबकि कुल व्यय 62,942 करोड़ रुपये का होगा, जिससे 6,010 करोड़ रुपए का घाटा होगा।

68. अब मैं अपने कर प्रस्तावों की ओर आता हूं।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मन्दसौर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे अगर आप आज्ञा दें तो 4 लाइनें निवेदन करना चाहता हूं।

सूरज जो कभी आपने खुद ही उगाया था,
देखिएगा आज वो सूरज ढले नहीं;
भगवान आपको ऐसा ईमान दे,
इस आशियां का एक भी तिनका जले नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आज तो आपने बगैर इजाजत लिए ही बोल दिया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चलिये आपकी भी बात मान ली, प्रो० साहब की भी बात मान ली।

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : 69. वर्ष 1985-86 के बजट में हमने करों में व्यापक सुधार की प्रक्रिया शुरू की थी। इस सुधार की स्थूल दिशा और नीति का निरूपण दीर्घकालिक राजकोषीय नीति में किया गया था। इस बजट सत्र में प्रत्यक्ष करों के बारे में हम एक विस्तृत विधेयक अलग से प्रस्तुत करेंगे। इस विधेयक के द्वारा सरलीकरण और युक्तिकरण के उद्देश्य से व्यापक परिवर्तन किए जायेंगे।

70. प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में मेरे थोड़े से प्रस्तावों का मुख्य जोर बचतों को प्रोत्साहन देने, निवेश को बढ़ावा देने और मकान निर्माण को समर्थन प्रदान करने पर है। मेरा कुछ कल्याणकारी उपायों को सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव है। मैंने राजस्व में वृद्धि करने के भी कुछ उपायों का भी प्रस्ताव किया है।

71. मेरा वैयक्तिक और निगम करों के दर-ढांचे में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है। यह दीर्घकालिक राजकोषीय नीति के अनुरूप है।

72. विदेशी मुद्रा बचाने और राजस्व में वृद्धि करने के उद्देश्य से, मैं विदेश यात्रा के लिए भारत में जारी की गई विदेशी मुद्रा पर 15 प्रतिशत का मामूली-सा कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं। विदेशों में शिक्षा और चिकित्सा-उपचार के लिए जारी की गई विदेशी मुद्रा इसमें शामिल नहीं होगी। यात्राओं पर यह कर अधिसूचित की जाने वाली तारीख से लागू होगा। इस उपाय से 60 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

73. जो लोग ऊंची श्रेणी के होटलों में जाने का खर्च उठा सकते हैं, उन्हें राष्ट्रीय खजाने में योगदान करने का अतिरिक्त सुख भी प्रदान किया जाना चाहिए। महंगे होटलों में किए जाने वाले खर्च पर कर लगाने के लिए अलग से एक क़ानून प्रस्तुत किया जाएगा। 10 प्रतिशत की दर से लगने वाला यह कर विदेशी मुद्रा में की जाने वाली अदायगियों पर लागू नहीं होगा। यह कर अपेक्षित विधान के पारित हो जाने के बाद प्रभावी होगा।

74. मैं निवल बचत पर आधारित एक नई राष्ट्रीय बचत योजना शुरू करने के निर्णय का उल्लेख पहले ही कर चुका हूं। इस सम्बन्ध में आवश्यक वैधानिक परिवर्तन वित्त विधेयक में शामिल किए जा रहे हैं।

75. मैं बचतों को आवास के क्षेत्र की ओर मोड़ने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव करता हूं। किसी नई रिहायशी सम्पत्ति की लागत के सम्बन्ध में किसी एक वर्ष के दौरान 10,000 रुपये की सीमा तक ऋणों की वापसी अदायगी और अदायगी को आय-कर अधिनियम की धारा 80-ग के अन्तर्गत जीवन बीमा प्रीमियम अथवा भविष्य निधि में अंशदान के समान कटौती के लिए अर्हता प्राप्त होगी। यह छूट 40,000 रुपये की मौजूदा सीमा के भीतर होगी।

76. किसी रिहायशी मकान की बिक्री से होने वाले पूंजीगत अभिलाभ को छूट दी जाती है, यदि उस अभिलाभ का उपयोग किसी अन्य मकान को प्राप्त करने के लिए किया जाये। अब तक बात केवल व्यक्तियों पर लागू होती थी। अब इसे हिन्दू अविभाजित परिवारों पर भी लागू किया जा रहा है।

77. मुझे पता चला है कि मकानों से होने वाली आय पर कर लगाने के प्रयोजन से हमारे कर-कानूनों में वास्तविक मालिक जो कानूनी मालिक न हो और कानूनी मालिक, जो वास्तविक मालिक न हो, के बीच भेद किया जाता है। जहां तक कराधान का सम्बन्ध है, हम राजस्व सम्बन्धी सुस्थापित परम्पराओं के अनुसरण में, वास्तविक मालिक, जो कानूनी मालिक न हो, और कानूनी मालिक, जो वास्तविक मालिक न हो, दोनों पर कर लगा देते हैं लेकिन किसी मकान मालिक को उपलब्ध रियायतें, केवल उस वास्तविक मालिक को दी जाती हैं, जो कानूनी मालिक भी हो। मैं यह स्पष्ट करके कि वास्तविक मालिक, चाहे वह कानूनी मालिक न भी हो, कर अदा करेगा और कानूनी मालिक को उपलब्ध होने वाली रियायतें प्राप्त करेगा, कानून को सरल बनाने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे आशा है कि सम्मानित सदस्यों के लिए इस प्रस्ताव का आशय पर्याप्त रूप से स्पष्ट होगा।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि दोनों अवास्तविक हों तो क्या होगा ?

श्री राजीव गांधी : मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह बात विभाग को स्पष्ट है।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : यदि प्रधान मंत्री को स्पष्ट है तो सभा को भी स्पष्ट होगी।

श्री राजीव गांधी : 78, जिन मामलों में किसी सम्पति के अधिग्रहण के लिए मुआवजे की राशि में वृद्धि हो जाती है, अथवा जहां नया रिहायशी मकान पुराना मकान बेचने के बाद विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर प्राप्त नहीं किया जाता, वहां पहले उदभूत पूंजीगत अभिलाभ पर कर लगाने के लिए पिछले वर्षों के पूरे हो चुके कर सम्बन्धी मामलों को आलोचित करना पड़ता है। इस जटिलता को दूर करने के लिए कानून में कुछ प्रक्रियात्मक परिवर्तन किए जा रहे हैं।

79. पिछले दो वर्षों में निगम करों के ढांचे में बहुत से महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। पहली अप्रैल, 1987 से मूल्यह्रास के उदार बनाए गए नियम लागू किए जा रहे हैं। अलग-अलग परिसम्पत्तियों से जुड़ी मौजूदा प्रणाली के स्थान पर, परिसम्पत्तियों के समूह के सम्बन्ध में मूल्यह्रास की अनुमति दी जाएगी। संयन्त्र और मशीनरी के लिए मूल्यह्रास की केवल तीन दरें होंगी, अर्थात 100, 50 और 33-1/3 प्रतिशत। इससे न केवल निर्धारण का काम ही सरल हो जाएगा, बल्कि उद्योग, पूंजीगत उपस्करों का प्रतिस्थापन और आधुनिकीकरण शीघ्रतापूर्वक कर सकेंगे।

80. यह उचित और उपयुक्त ही होगा कि खुशहाल लोग कम से कम कुछ कर अवश्य अदा करें। तथाकथित 'शून्य कर' वाली भारी मुनाफा कमाने वाली कम्पनियों के अस्तित्व की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। 1983 में आयकर अधिनियम में एक नई धारा 80फफक शामिल की गई थी, ताकि मुनाफा कमाने वाली सभी कम्पनियां कुछ कर अवश्य अदा करें। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका कोई लाभ नहीं हुआ और इसे वापस लिया जा रहा है। मैं अब एक उपबन्ध करने का प्रस्ताव करता हूं, जिसके अनुसार प्रत्येक कम्पनी को अपने लेखाओं में घोषित मुनाफे पर एक "न्यूनतम निगम कर" अदा करना होगा। इस नये उपबन्ध के अन्तर्गत, कम्पनियां अपनी लेखा-पुस्तकों में प्रदर्शित मुनाफे के कम से कम 30 प्रतिशत भाग पर कर अदा करेंगी। दूसरे शब्दों में कोई बहुजन-धारित स्वदेशी कम्पनी अपनी लेखा-पुस्तकों में दर्ज मुनाफे के कम से कस 15 प्रतिशत के बराबर कर देगी। इस उपाय से लगभग 75 करोड़ रुपए की राजस्व-प्राप्ति होगी।

81. पूंजी बाजारों में उल्लेखनीनीय प्रफुल्लता दिखाई दी है। मेरा कर कानूनों में कुछ परिवर्तन करने का प्रस्ताव है, जिनसे पूंजी बाजारों के स्वस्थ्य विकास में सहायता मिलेगी। कुछ श्रेणियों की नई कम्पनियों के सामान्य (इक्विटी) शेयरों में किए जाने वाले निवेश के सम्बन्ध में कटौती की छूट देने का मौजूदा उपबन्ध पहली अप्रैल, 1987 से वापस लिया जाना था। नई कम्पनियों के निर्गमों को समर्थन देते रहने की आवश्यकता को देखते हुए मैं इस रियायत को तीन और वर्षों तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। मैं इन शेयरों के धारण की अवधि को 5 वर्षों से घटा कर 3 वर्ष करने का भी प्रस्ताव करता हूं।

82. इस समय, शेयरों के अंतरण पर होने वाले पूंजीगत अभिलाभ पर दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभों के लिए दी जाने वाली रियायत के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, शेयरों को 36 महीनों की अवधि के लिए रखा जाना जरूरी है। शेयरधारिता की इस

अवधि को घटा कर 12 महीने किए जाने का प्रस्ताव है। इससे निवेशकर्ताओं को निवेश में फेर-बदल करने की अपेक्षाकृत अधिक गुंजाइश प्राप्त होगी और शेयरों में लगी पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि होगी।

83. हमारे बहुत से शहरी इलाकों में उद्योगों के केन्द्रीयकरण के कारण भीड़-भाड़, प्रदूषण और खतरों की गम्भीर समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं। उद्योगों को ऐसे क्षेत्र में स्थानान्तरित करने के लिए प्रोत्साहन देने के वास्ते, मैं इन क्षेत्रों में भूमि और इमारतों की बिक्री से होने वाले पूंजीगत अभिलाभ को छूट देने का प्रस्ताव करता हूं, बशर्ते कि इन अभिलाभों का पुनर्निवेश उद्योगों को नए स्थानों पर फिर से स्थापित करने की अनुमोदित योजनाओं में किया जाए।

84. वर्ष 1985-86 के बजट से कर की दरों में कमी किए जाने के बाद से, अल्पजनधारित सम्पनियों के अवितरित मुनाफों पर अतिरिक्त आय-कर लागू करने से सम्बन्धित उपबंध अपनी प्रासंगिकता खो बैठे हैं। इन्हें समाप्त किया जा रहा है। कुछ अदालती फैसलों के कारण किसी फर्म के सुनाम के अन्तरण अथवा किसी फर्म से किसी भागीदार को अथवा किसी भागीदार से फर्म की परिसम्पत्तियों के अन्तरण पर होने वाले पूंजीगत अभिलाभ कर के जाल से बच जाते हैं। ऐसे अभिलाभों को सुस्पष्ट रूप से कर-योग्य बनाया जाएगा।

85. मुक्त व्यापार क्षेत्रों में नव स्थापित उपक्रमों को कर छुट्टी प्रदान की गई है। यह स्पष्ट किया जा रहा है कि यह रियायत साफ्टवेयर विकसित करने वाले एककों तथा निर्यात के लिए संघटकों का संयोजन अथवा उन्हें प्रोसेस करने वाले एककों को प्राप्त होगी।

86. तकनीकी जानकारी प्रदान करने पर किसी विदेशी राज्य अथवा किसी विदेशी उद्यम से आय अर्जित करने वाली भारतीय कम्पनियों को कर सम्बन्धी रियायत उपलब्ध है। कर में यह रियायत अब तभी उपलब्ध होगी, यदि अर्जित विदेशी मुद्रा भारत भेजी जाएगी। यह स्पष्ट किया जा रहा है कि इस प्रयोजन के लिए किसी भारतीय निवासी को विदेशी उद्यम नहीं माना जा सकता।

87. कम्प्यूटरों तथा संदेशों का परिणाम और उन्हें ग्रहण करने वाली मशीनों को आय-कर अधिनियम की अनुसूची-11 में दी गई सूची से हटा लिया जाएगा, क्योंकि ये उद्योग अब गैर प्राथमिकता प्राप्त उद्योग नहीं हैं।

88. इस समय उन भारतीय नागरिकों को, जो विदेशों में प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए विदेशी मुद्रा में पारिश्रमिक अर्जित करते हैं, आय-कर अधिनियम की धारा 80 ददक के अन्तर्गत, कतिपय शर्तों के अध्यधीन, 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है। इसे और उदार बनाया जा रहा है। अब पारिश्रमिक के 50 प्रतिशत तक, अथवा रूपान्तरणीय विदेशी मुद्रा के रूप में भारत में भेजे गये पारिश्रमिक के 75 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, यह छूट दी जायगी।

89. कर व्याप्ति का विस्तार करने और कर-अपवंचन को रोकने के लिए, यह प्रस्ताव किया जाता है कि व्यावसायिक और तकनीकी सेवाओं की फीस, रायल्टी, किराए, कमीशन

अथवा दलाली और सरकार को सप्लाई की गई वस्तुओं की अदायगी के मामले में कतिपय निर्धारित राशियों से अधिक की गई अदायगियों के बारे में विनिर्दिष्ट दरों पर कर की कटौती स्रोत पर की जाए। यह व्यष्टियों और हिन्दू अविभाजित परिवारों को छोड़ कर सभी व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली अदायगियों पर लागू होगा।

90. अब मैं कामगारों, सशस्त्र बलों के सदस्यों और विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के उपायों की ओर आता हूं। ऐसे बहुत से मामले होते हैं जिनमें नियोजक अपने द्वारा और कर्मचारियों द्वारा किए गए अंशदानों की राशि भविष्य निधि और राज्य बीमा निधि में जमा नहीं करते। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ नियोजकों द्वारा कर्मचारियों के उपदान के संबंध में अलग निधि नहीं रखी जाती है। इस श्रमिक विरोधी प्रथा की रोक-थाम के लिए, हमारा ऐसे दोषी नियोजकों को दंडित करने का प्रस्ताव है और इसके लिए यह उपबंध किया जाएगा कि इन निधियों में कर्मचारियों के अंशदान पर नियोजकों को आय के रूप में कर लगाया जाएगा और इसकी कटौती की छूट तभी दी जाएगी, जब उन्हें कानून के अन्तर्गत अनुमत्य समयावधि में इन निधियों से सम्बन्धित पृथक लेखाओं में जमा करा दिया जाएगा।

91. किसी कामगार को उसकी छंटनी के समय प्राप्त होने वाले मुआवजे को कर से छूट प्राप्त है। सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की स्कीमों के अन्तर्गत की जाने वाली अदायगियों के मामले में भी ऐसी छूट लागू की जा रही है।

92. रेजीमेंटल निधियों अथवा गैर-पब्लिक निधियों का उपयोग युद्ध के दौरान मरने वाले सशस्त्र बलों के कार्मिकों की विधवाओं और अपंग हो गए सैनिकों को सहायता प्रदान करने जैसे प्रयोजनों के लिए किया जाता है। इनमें किए जाने वाले अंशदानों को वही कर-रियायतें प्राप्त होंगी जो राष्ट्रीय रक्षाकोष जैसे राष्ट्रीय महत्व के अन्य कोषों को उपलब्ध हैं।

93. मैं विकलांग व्यक्तियों और पूर्णतः नेत्रहीनों के लिए विशेष कटौती की राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर रहा हूं।

94. प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में अन्य प्रक्रियात्मक प्रस्ताव भी हैं, जिनमें निपटारा आयोग (सेटलमेंट कमीशन) के बेहतर कार्यचालन की सुनिश्चित व्यवस्था करने के प्रस्ताव भी शामिल हैं, जो वित्त विधेयक में दिए गए हैं।

95. मैं संसद-सदस्यों के लिए निर्वाचन क्षेत्र सम्बन्धी भत्ते के सम्बन्ध में, किसी मीट्रिक सीमा की शर्त के बिना, आम छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

96. उपर्युक्त प्रस्तावों से 145 करोड़ रुपए की निबल राजस्व की प्राप्ति होगी।

97. अब मैं अप्रत्यक्ष करों की ओर आता हूं। पूंजीगत वस्तुओं के टैरिफ सम्बन्धी ढांचे का पुनर्गठन किया जाएगा और उसे युक्तिसंगत बनाया जाएगा। मेरा अधिकांश शेष क्षेत्रों पर 'मोडवाट' को लागू करने का प्रस्ताव है। कुछ उद्योगों के सम्बन्ध में उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्कों को समायोजित किया जा रहा है ताकि विकास को बढ़ावा मिल सके। आम आदमी के लिए अनेक राहतों का प्रस्ताव है।

98. जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, पूंजीगत सामान उद्योग को विशेष समर्थन की आवश्यकता है।

99. इस समय मशीनरी के आयात के लिए दो टेरिफ दरें हैं, सामान्य मशीनरी के आयात करने के लिए 101 प्रतिशत और यदि किसी नई परियोजना के लिए मशीनरी का आयात किया जाए तो 55 प्रतिशत की रियायती दर। परियोजना आयातों के लिए शुल्क की कम दरों के फलस्वरूप अनावश्यक आयातों को बहुत बढ़ावा मिला है। सामान्य दर और परियोजना दर के बीच अन्तर भी विद्यमान इकाइयों के आधुनिकीकरण के विरुद्ध भेद करता है और रुग्णता को बढ़ावा देता है। ये विसंगतियां दूर की जानी चाहिएं।

100. मैं दोनों दरों को बराबर कर के 85 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। पुर्जों के लिए लागू होने वाली शुल्क दर, लागू टेरिफ दर से 15 प्रतिशत कम होगी।

101. इस समय उर्वरकों, विद्युत और इलैक्ट्रानिकी उद्योगों के लिए उनके पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर रियायती दर पर आयात शुल्क लागू है। इन दरों को ऊपर की ओर समायोजित किया जा रहा है। इलैक्ट्रानिकी उद्योग के लिए उपस्कर के आयात पर शुल्क को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया जा रहा है, उर्वरक संयंत्रों के मामले में इसे शून्य प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत किया जा रहा है। विद्युत के मामले में 50 मेगावाट क्षमता से अधिक के संयन्त्रों को 25 प्रतिशत की दर से आयात किया जाता रहेगा। 50 मेगावाट और उससे कम क्षमता वाले संयन्त्रों को 35 प्रतिशत की ऊंची दर पर शुल्क देना पड़ेगा।

102. विनिर्दिष्ट पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रौद्योगिकी में उन्नयन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। मैं निम्नलिखित रियायतों का प्रस्ताव करता हूं :

(i) इस समय घरेलू पूंजीगत सामान के विनिर्माताओं को विशिष्ट प्रकार के इस्पात के आयात पर बहुत ऊंची दर पर आयात शुल्क अदा करना पड़ता है। बायलर-प्रैसर-वैसल्स-क्वालिटी प्लेटों, शीटों अथवा क्वायलों, टरबाइन ब्लैड फ्लेट्स, स्टेनलैस प्लेटों जैसे इस्पात पर शुल्क दर को कम करके 85 प्रतिशत किया जा रहा है।

(ii) वस्त्रोद्योग मशीन उद्योग को आयातित स्टेनलैस स्टील की पूर्ति इस समय निर्धारित 285 प्रतिशत की दर के बजाए 65 प्रतिशत की रियायती शुल्क पर की जाएगी।

(iii) फाउन्डरियों के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, विनिर्दिष्ट पूंजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क को 101 प्रतिशत से कम करके 55 प्रतिशत किया जा रहा है, और

(iv) कास्टिक सोडा संयन्त्रों को, जो इस समय मरकरी सैल प्रौद्योगिकी पर आधा

रित हैं, मेम्ब्रेन सैल प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नई प्रौद्योगिकी से उर्जा की बचत होती है और प्रदूषण में कमी आती है। इस बदलाव के लिए आवश्यक विनिर्दिष्ट उपस्करों को वर्तमान 101 प्रतिशत की दर की बजाए 35 प्रतिशत की शुल्क दर पर आयतों की वृद्धि होगी।

103. वर्ष 1986-87 के बजट में प्रारम्भ की गई मूल्यवर्धित संशोधित कराधान प्रणाली अर्थात "मोडवाट" एक मुख्य नया उपाय था। हमने पिछले वर्ष उत्पाद-शुल्क टैरिफ के 38 अध्यायों को इसके अन्तर्गत शामिल किया था। अब मैं "मोडवाट" को वस्त्रोद्योग, तम्बाकू तथा पैट्रोलियम क्षेत्रों से सम्बन्धित अध्यायों को छोड़कर शेष सभी अध्यायों पर, लागू करने का प्रस्ताव करता हूं। अब "मोडवाट" खाद्य उत्पादों, खनिज उत्पादों, चमड़े और यात्रा सम्बन्धी वस्तुओं, जूतों, कागज और गत्ते, लकड़ी और कार्क के उत्पादों, एसबस्टास, सीमेंट के उत्पादों और कीमती धातुओं पर भी लागू किया जाएगा।

104 पिछले वर्ष राजस्व की स्थिरता की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए 'मोडवाट" प्रणाली को लागू किए जाने ने साथ-साथ अन्तिम उत्पाद पर लगने वाले शुल्क में भी वृद्धि कर दी गई थी ताकि निविष्टियों पर अदा किए जाने वाले शुल्क के सम्बन्ध में जो भुजराई दी जा रही थी उसे सन्तुलित किया जा सके। इस वर्ष सिवाए कुछ एक मदों के अन्तिम उत्पाद पर (उत्पाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए) शुल्क में वृद्धि नहीं की जा रही है। इस व्यवस्था से मदों की एक बड़ी संख्या पर शुल्क की प्रभावी दर में कमी हो जाएगी।

105. उदाहरण के लिए खाद्य उत्पादों के मामले में, "मोडवाट" के अन्तर्गत आने वाली मदों की कुल संख्या लगभग 100 से अधिक होगी। राजस्व में स्थिरता बनाये रखने के लिए केवल पनीर, माल्ट से बने पदार्थों और वातित गैर-मादक पेय पदार्थों पर ही शुल्क में वृद्धि की जा रही है। अन्य खाद्य उत्पादों, जैसे कि बिस्कुटों, क्रीम रहित दूध पाउडर, मक्खन, जैम और जेली तथा मिष्ठान्न पदार्थों पर कराधान की प्रभावी दर में उल्लेखनीय कमी हो जाएगी। इस प्रकार के मूल्य वर्धित खाद्य उत्पादों की बिक्री के लिए उपलब्ध बाजार के विस्तार से कृषकों और उद्यान व्यवसायियों को मदद मिलेगी।

106. उन 5 मदों के अन्तिम शुल्क में, जिन पर पिछले वर्ष शुल्क लगाया गया था, कुछ वृद्धि आवश्यक है, खासकर ऐसे मामले में जहां हमने यह देखा है कि पिछले वर्ष दी गई भुजराई की सुविधा शुरू में प्राक्कलित सुविधा की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। ये वस्तुएं हैं जिंक आक्साइड, कृत्रिम रेजिन पर आधारित आसंजक (एडेसिव), आर्गेनिक तल सक्रिय एजेन्ट, बिजली चालित मोटर और प्राइमरी बैट्रियां।

107. "मोडवाट" के प्रवर्तन को सरल बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रक्रिया सम्बन्धी परिवर्तन भी किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ रियायतें इस प्रकार हैं :—

(1) यदि विनिर्माता द्वारा खास परिस्थितियों में अन्तिम उत्पाद का निर्यात किया जाए तो निविष्टि शुल्क क्रेडिट की नकद वापसी की व्यवस्था।

(2) स्टाक में पड़ी हुई निविष्टियों के सम्बन्ध में शुल्क क्रेडिट की उपलब्धता।

(3) यदि निविष्टियों के वर्गीकरण में परिवर्तन हो जाने पर निविष्टियों के विनिर्मा-

लाभों से अतिरिक्त शुल्क की मांग की जाए तो निविष्टि शुल्क सम्बन्धी केडिट के समायोजन की व्यवस्था।

(4) "मोडवाट" योजना के अन्तर्गत उजरती आधार पर फुटकर काम करने वाले कार्यकर्ताओं द्वारा समस्त मदों के संबंध में सीधे ही निविष्टियों की प्राप्ति की अनुमति दी जाएगी।

108. इन उपायों के साथ हम उत्पाद शुल्क के प्रपाती प्रभाव को दूर करने में सफल हो सकेंगे और इस प्रकार उत्पाद-शुल्कों में काफी बड़ी राहत दे सकेंगे।

109. हमारी व्यापक नीति के कार्यक्रम में इलैक्ट्रानिकी उद्योग को तेजी से बढ़ने वाले उद्योग के रूप में माना गया है। इस उद्योग ने भारी मात्रा में रोजगार पैदा किया है। मैं कुछ ऐसे परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता हूं जिनसे मौजूदा नीति का आधारभूत स्वरूप सुदृढ़ होगा।

110. कम्प्यूटरों के मामले में निम्नलिखित राहतें प्रदान करने और युक्तिकरणों की व्यवस्था की जा रही है :—

(i) इलैक्ट्रानिक उप-संयोजित मदों पर आयात-शुल्क 308 प्रतिशत से घटा कर 150 प्रतिशत किया जा रहा है।

(ii) वृत्तकों (पेरीफरल) की सूची में अभिवृद्धि की जा रही है और 60 प्रतिशत की एक समान दर पर आयात-शुल्क निर्धारित किया जा रहा है।

(iii) विनिर्दिष्ट तथ्यांक संकलन उपस्करों पर आयात शुल्क को 140 प्रतिशत से घटाकर 100 प्रतिशत किया जा रहा है। तथ्यांक संकलन उपस्करों के यांत्रिक हिस्सों पर शुल्क को 140 प्रतिशत से घटा कर 55 प्रतिशत किया जा रहा है।

(iv) अनुसंधान संस्थानों के लिए कम्प्यूटर पेरीफरल पर आयात-शुल्क में छूट देने से सम्बन्धित वर्तमान अधिसूचना के प्रवर्तन की अवधि को तीन वर्ष के लिए और बढ़ाया जा रहा है।

(v) खुली सामान्य लाइसेन्स प्रणाली के अन्तर्गत आयातित कम्प्यूटर सिस्टमों पर लगने वाले शुल्क को 150 प्रतिशत से घटा कर 140 प्रतिशत किया जा रहा है (बुनियादी और सहायक)।

(vi) कम्प्यूटरों के विनिर्दिष्ट इलैक्ट्रानिकी हिस्सों पर आयात शुल्क को, स्वदेशी उत्पादन को समुचित संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से, 25 प्रतिशत से बढ़ा कर 75 प्रतिशत किया जा रहा है। कम्प्यूटर पेरीफरल के यान्त्रिकी हिस्सों पर लगने वाले आयात-शुल्क को भी 5 प्रतिशत से बढ़ा कर 75 प्रतिशत किया जा रहा है और इसे सी. एन. सी. सिस्टम के यान्त्रिकी हिस्सों पर भी लागू किया जा रहा है।

111. पिछले वर्ष भारतीय कम्प्यूटर उद्योग ने 225 करोड़ रुपए का कारोबारी

उत्पादन किया। यह उद्योग अपनी शैशवावस्था से निकल चुका है और अब स्वस्थ और सशक्त है। अब चूंकि यह उद्योग परिपक्व अवस्था में पहुंच गया है इसलिए कर वसूल करने वाले भी पीछे नहीं रह सकते। इसलिये कम्प्यूटरों और पैरीफरल पर 10 प्रतिशय की दर से उत्पाद-शुल्क लगाए जाने का प्रस्ताव है। "मोडवाट" के कारण शुल्क का प्रभावी भार अपेक्षतया कम ही रहेगा।

112. इलैक्ट्रानिकी उद्योग की दीर्घावधिक सफलता के लिये इस उद्योग का अनुसंधान तथा विकास विषयक आधार भी निर्णायक महत्व रखता है। इसलिए मैं अनुसन्धान तथा विकास कार्यों के लिए आवश्यक विनिर्दिष्ट उपस्करों पर शुल्क को 140 प्रतिशत से कम करके 55 प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव करता हूं।

113. हमें इलैक्ट्रानिकी उद्योग के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं के स्वदेशी उत्पादन को अवश्य प्रोत्साहित करना चाहिए। इस समय ऐसी पूंजीगत वस्तुओं के विनिर्माण के लिए आवश्यक यान्त्रिकी संघटकों पर 140 प्रतिशत की दर से शुल्क लगाया जाता है। मैं लगभग 300 विनिर्दिष्ट मशीनों के लिए आवश्यक संघटकों के मामले में इस शुल्क को घटाकर 45 प्रतिशत कर दिए जाने का प्रस्ताव करता हूं।

114. सामान्य इलैक्ट्रानिकी के क्षेत्र में कच्चे माल, अलग-अलग हिस्सों और संघटकों के आयात पर क्रमशः 30 प्रतिशत, 45 प्रतिशत और 75 प्रतिशत की दर से रियायती शुल्क की सुविधा उपलब्ध है। हम इस रियायती शुल्क सुविधा की व्याप्ति के क्षेत्र को, इसमें कुछ और मदों को शामिल करके बढ़ा रहे हैं।

115 मैं सभी शक्लों में पाली सिलिकान के उत्पादन पर लगाये जाने वाले उत्पाद-शुल्क को समाप्त करने का प्रस्ताव रख रहा हूं। यह प्रस्ताव स्वदेशी उद्योग को समर्थन देने के लिए है। सिलिकान, सौर सैलों और फोटोवाल्टेयिक सिस्टमों के आयात पर क्रमशः 30 प्रतिशत, 45 प्रतिशत और 75 प्रतिशत की दरों से सीमा-शुल्क लगाया जाता है। मैं स्वदेशी उत्पादन के हित को ध्यान में रखते हुए इलैक्ट्रानिकी उद्योग के लिए पाली सिलिकान के आयात पर लगने वाले शुल्क को बढ़ा कर 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

116. टेलीविजन सैटों के उत्पादन में, उत्पादन लक्ष्यों के अनुरूप बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है। इस प्रकार एक बड़ा सजीव और प्रतियोगिता सक्षम उद्योग देश में सुस्थापित हो गया है। मैं दो परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता हूं :—

(i) कर अपवंचन विरोध उपाय के रूप में 36 सेन्टीमीटर से बड़े आकार के सैटों के लिए उपयोग में लायी जाने वाली श्याम-श्वेत ट्यूबों पर 150 रुपये का उत्पादन-शुल्क अथवा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने का प्रस्ताव है और समस्त रंगीन टेलीविजन ट्यूबों पर 600 रुपयों का उत्पादन-शुल्क अथवा प्रति संतुलनकारी शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं। "मोडवाट" के अन्तर्गत शुल्क अदा करने वाले विनिर्माताओं को इस निविष्टि शुल्क की पूरी कटौती दी जाएगी, और उपभोक्ता पर अतिरिक्त शुल्क का कोई बोझ नहीं पड़ेगा। किन्तु इससे बिना लाइसेंस का उत्पादन रोकने में मदद मिलेगी।

(ii) इस समय 36 सेन्टीमीटर से बड़े आकार के रंगीन टेलीविजन पर, टेलीविजन सैट के मूल्य को अनपेक्षित करते हुए 1500 रुपये का उत्पादन शुल्क लगता है। मैं महंगे सैटों पर शुल्क को बढ़ाकर 1750 रुपये प्रति सैट करने का प्रस्ताव करता हूं। यह व्यवस्था 5000 रुपये से अधिक निर्धारण योग्य मूल्य पर तैयार किए जाने वाले सैटों पर लागू होगी जो कि लगभग 7500 रुपये की खुदरा मूल्य के अनुरूप बैठेगी। 5000 रुपए या उससे कम के निर्धारण-योग्य मूल्य पर तैयार किए जाने वाले सैटों पर उत्पादन-शुल्क 1500 रुपए ही रहेगा। महंगे सैट अतिरिक्त शुल्क का भार वहन कर सकते हैं।

117. इलैक्ट्रानिकी उद्योग से सम्बन्धित इन प्रस्तावों से 19.30 करोड़ रुपये के राजस्व की निवल हानि होगी। उत्पाद-शुल्कों से 40 करोड़ रुपये की राजस्व वृद्धि होगी और सीमा-शुल्कों के राजस्व में 59.30 करोड़ रुपये का घाटा होगा।

118. पिछले कुछ वर्षों में आटो मोबाइल उद्योग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। नई प्रौद्योगिकी लागू की गई है, उत्पादन में वृद्धि हुई है और स्वदेशीकरण हो रहा है। सरकार इन बातों और अन्य घटनाओं की समीक्षा कर रही है और इस सम्बन्ध में एक व्यापक नीति की घोषणा करेगी। फिलहाल ओटोमोबाइल उद्योग के लिए मेरे प्रस्ताव इस प्रकार हैं :—

(i) कम ईंधन की खपत वाले ट्रकों, कारों और दुपहिया वाहनों के संघटकों के विनिर्माण के लिए आवश्यक आयातित उप-संघटकों पर इस समय 50 प्रतिशत की रियायती दर से सीमा-शुल्क लगाया जाता है। मैं ऐसे संघटकों की सूची को और बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं, जिनके लिए उप-संघटकों के रियायती आयात की व्यवस्था है। इससे स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

(ii) ईंधन की कम खपत वाले ऐसे मोटर वाहनों के उत्पाद-शुल्क को, जिनकी इंजन क्षमता 1000 सी. सी. से अधिक नहीं है, 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव है। यह क्षेत्र अतिरिक्त शुल्क का भार सहन कर सकता है और यह क्षेत्र शेष उद्योग की तुलना में कम दर होने पर भी लाभ में ही रहेगा।

(iii) मेरा प्रस्ताव है कि विकलांग व्यक्तियों के मामले में अधिकतम 1000 सी. सी. क्षमता वाले इंजन वाली कम ईंधन की खपत करने वाली कारों में संयोजित किए जाने वाले स्वचल ट्रांसमिशन व अन्य विशेष उपस्कर के सम्बन्ध में सीमा-शुल्कों से पूरी छूट दे दी जाए।

(iv) कम ईंधन की खपत वाले मोटर वाहनों के विक्रय की कारंवाई अथवा बारंटी को पूरा करने के लिए फालतू पुर्जों के आयात पर शुल्क की दर को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया जा रहा है।

(v) अब ट्रैक्टरों पर उत्पादन-शुल्क पावर, टेक आफ हार्स पावर के बजाय इंजन क्षमता के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। ऐसा कर अपवंचन उपाय के रूप में किया जा रहा है जिससे राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

119. जन साधारण द्वारा प्लास्टिक का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। खेती और कारखानों में इसके उपयोग की भारी सम्भावनायें विद्यमान हैं। हमारे प्लास्टिक की कीमतें बहुत ऊंची हैं। सरकार, इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में लागत को कम करने के उपाय शुरू करने का विचार रखती है।

120 मैं सी. वी. सी. रेजिन पर (सामान्य प्रयोजनीय ससपेन्शन ऐड) बुनियादी सीमा-शुल्क को 10,500 रुपए प्रति मी. टन से घटाकर 7,500 रुपया प्रति मी.टन करने का प्रस्ताव करता हूं। इन रेजिनों को सस्ते जूते और और कृषि क्षेत्र के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पाइपों के विनिर्माण में और तारों तथा केबुलों को कवचित करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है।

121. मैं निम्न घनत्व की पोलिथिलीन पर बुनियादी सीमा-शुल्क को 100 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत का प्रस्ताव भी कर रहा हूं। निम्न घनत्व की पोलीथीन को बहुत अधिक किस्मों की पैकेजिंग सामग्री के उत्पादन के लिए एक आधार के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है। निम्न घनत्व की पोलीथिलीन फिल्मों को नहरों और खेतों या जोतों तक पहुंचने वाले रजवाहों के स्तर लगाने के लिये इस्तेमाल में लाये जाने की भारी संभावनायें हैं।

122. पुनः सृजित सेलूलोज के उत्पादों पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क को जिसमें सस्ती पैकजिन्दी सामग्री सेलोफेन भी सम्मिलित है, 40 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत किया जा रहा है। इसी तरह से सेलूलोज एसीटेट मोल्डिंग ग्रेन्यूल पर भी, जिसे चश्मों के फ्रेम, छतरियों के मुट्ठे और दांत साफ करने के ब्रुश तैयार करने के काम में इस्तेमाल किया जाता है तथा सोडियम कारबोक्सी मिथाइल सेलूलोज के उत्पाद-शुल्क को भी कम किया जा रहा है, जिसका उपयोग तेल की खोज के लिए भू-छेदन का कार्य करने, वस्त्रों के संसाधन और प्रक्षालन सामग्री (डिटरजेंट) के विनिर्माण में किया जाता है।

123. कतिपय वर्गों के औद्योगिक प्लास्टिक, एक्रीलिक और विनाइल रेजिन एमल्शनों पर उत्पाद-शुल्क को 40 प्रतिशत से घटा कर 20 प्रतिशत किया जा रहा है।

124. पिछले वर्ष में हमने राजकोषीय तथा अन्य साधनों के माध्यम से अपने निर्यात व्यापार को सुदृढ़ करने के बहुत से उपाय किए हैं। मैं निम्नलिखत अतिरिक्त प्रोत्साहन देने के लिए प्रस्ताव करता हूं;

(क) जवाहरात और जड़ाऊ आभूषण उद्योग के लिए—औजारों और मशीनों के अन्तर्गत 46 अतिरिक्त मदों पर सीमा-शुल्क को घटा कर 35 प्रतिशत किया जा रहा है।

(ख) समुद्री-उत्पाद उद्योग के लिए—तीन अतिरिक्त मदों पर 40 प्रतिशत की रियायती दर से (बुनियादी और सहायक शुल्क) आयात-शुल्क लगाया जाएगा।

(ग) चमड़ा उद्योग के लिए—

(i) चमड़ा उद्योग के लिए आवश्यक मशीनों की 31 अतिरिक्त मदों पर शुल्क की रियायती दर 35 प्रतिशत होगी।

(ii) तैयार चमड़े को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली पीलिरिथेन फिल्स/फायल पर 40 प्रतिशत की कम दर के हिसाब से प्रति-संतुलनकारी शुल्क लगेगा।

(iii) निर्यात किए जाने के लिए फुटवालों के विनिर्माण के काम में आने वाले पालीरिथेन लेदर पर शुल्क से छूट दी जाएगी।

(घ) टायरों के लिए—निर्यात उत्पादन के लिए आवश्यक टायर मोल्डों पर आयात शुल्क को घटाकर 25 प्रतिशत किया जा रहा है।

(ङ) अवशिष्ट अभ्रक और छीजन को छोड़ कर अभ्रक के उत्पादनों पर निर्यात शुल्क समाप्त किया जा रहा है।

(च) लेक्स और रेमोफाइबर पर आयात शुल्क की 80 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत किया जा रहा है।

125. मैं कुछ समायोजन करने का भी प्रस्ताव करता हूं, जिससे जनसाधारण को और फायदा होगा—

(1) अगस्त, 1985 में सरकार ने कम खर्चीले मिश्रित फेब्रिक (सुलभ वस्त्रों) के विनिर्माण के सम्बन्ध में राजकोषीय राहत देने की एक योजना शुरू की थी। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग निगम की मिलों को 45 रुपये प्रति मीटर तक के मूल्य के सूट के कपड़े और 20 रुपये प्रति मीटर तक के मूल्य के कमीज बनाने लायक कपड़े के विनिर्माण के लिए बिना उत्पादन शुल्क लगाए कच्चा माल मुहैया किया जाता है। इस योजना की अच्छी शुरुआत हुई है। सौभाग्य साड़ियों के विनिर्माण के लिए भी ऐसी ही एक योजना शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। इसके फलस्वरूप मुनासिब कीमतों पर अच्छी किस्मों की साड़ियां उपलब्ध हो सकेंगी।

(2) इस समय 45 रुपया फी जोड़े मूल्य के जूते के मूल्य पर उत्पादन शुल्क नहीं लगता। मैं इस सीमा को फी जोड़ा बढ़ा कर निर्धारण मूल्य के 60 रुपए के बराबर करना चाहता हूं जो कि लगभग 100 रुपया फी जोड़े के वर्ग के जूतों के अनुरूप है। उत्पाद-शुल्क में होने वाली हानि को प्रतिसंतुलित करने के लिए इससे अधिक निर्धारण योग्य मूल्य के जूतों पर, चमड़े के जूतों के संबंध में उत्पाद शुल्क को बढ़ा कर 15 प्रतिशत और कृत्रिम रेजिन के जूतों के संबंध में 20 प्रतिशत किया जा रहा है।

(3) 10,000 रुपया प्रति मीट्रिक टन से अनधिक मूल्य के जनता साबुन पर 5 प्रति-

शत की कम दर पर उत्पाद-शुल्क लगता है। मैं मूल्य-सीमा को बढ़ा कर 12,000 रुपया प्रति मीट्रिक टन तक पर देने का प्रस्ताव करता हूं। इससे नहाने और कपड़े धोने के काम आने वाले सस्ते साबुन की लागत कम हो जाएगी। 12,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन से लेकर 25,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन तक के मूल्य के साबुन पर 15 प्रतिशत की दर से शुल्क की अदायगी की जाती रहेगी, किन्तु महंगे साबुनों पर, जिनका मूल्य 25,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन से ऊंचा होगा, 25 प्रतिशत की दर से शुल्क लिया जाएगा।

(4) अधिक से अधिक 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर के निर्धारण योग्य मूल्य के शोडी ऊन के कपड़ों पर उत्पादन-शुल्क से पूरी छूट उपलब्ध है। मैं इस सीमा को बढ़ा कर 60 प्रति वर्ग मीटर करने का प्रस्ताव रखता हूं। शोडी कम्बलों पर पहले से ही उत्पाद-शुल्क से पूरी छूट दी जा रही है।

(5) फ्लूरेसेंट ट्यूबों पर उत्पाद-शुल्क को घटाकर मात्रानुसार 2 रुपया प्रति ट्यूब किया जा रहा है। ऐसी ट्यूबों के अन्य संलग्नकों और हिस्सों पर भी 10 प्रतिशत की घटी दर से उत्पाद-शुल्क देना होगा।

(6) मैं जैव-गैस उपकरणों जैसे स्टोव, हाट प्लेट और लाइट को भी उत्पाद-शुल्क से छूट दिए जाने का प्रस्ताव कर रहा हूं। इससे जैव-गैस के अधिक उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा।

(7) इस समय विनिर्दिष्ट जीवन रक्षक उपस्करों पर सीमा-शुल्क से पूरी छूट प्राप्त है, किन्तु ऐसे उपस्करों के लिए आवश्यक फालतू पुर्जों के आयात पर शुल्क लगता है। यह शुल्क हमारे अस्पतालों और चिकित्सालयों पर एक गैर-जरूरी बोझ है। मैं ऐसे जीवन-रक्षक उपस्करों के लिए आवश्यक फालतू पुर्जों और सहायक पुर्जों पर शुल्क से पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

(8) नोटबुक, लैटर पैड, ब्लाटिंग पैड, रजिस्टरों, लेखा-पुस्तकों और फाइल-कवर जैसी मदों पर उत्पाद-शुल्क से पूरी छूट दी जा रही है।

126. सूती वस्त्रों के सम्बन्ध में मैं दो प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

(i) मैं हाथ से तैयार किए जाने वाले कपड़े के सम्बन्ध में 36 लाख वर्ग मीटर की सम्पूर्ण छूट-प्राप्त सीमा को बढ़ाकर 50 लाख वर्ग मीटर कर देने की व्यवस्था करके छोटे पैमाने पर हाथ से तैयार किए जाने वाले कपड़ों की योजना को और उदार बनाने का प्रस्ताव करता हूं।

(ii) विद्युत संसाधक क्षेत्र में तैयार जिए जाने वाले सूती कपड़ों के उत्पादन-शुल्क की व्यवस्था को भी युक्तिसंगत बनाया जा रहा है। 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर तक के मूल्य के कपड़ों के सम्बन्ध में उत्पाद-शुल्क की मात्रानुसार दरें निधारित की जा रही हैं। इससे 15 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

127. मैं ऊन के गोलों पर सम्पूर्ण रूप से उत्पाद शुल्क समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं, किन्तु मैं कच्ची ऊन, ऊन के टुकड़ों और रद्दी ऊन के सीमा-शुल्कों को बढ़ा कर 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत कर देने और कृत्रिम टुकड़ों के सीमा-शुल्क को 80 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर देने का प्रस्ताव भी कर रहा हूं। पोलिएस्टर ऊन मिश्रित यार्न पर उत्पाद-शुल्क को 30 रुपए प्रति किलोग्राम से घटाकर 15 रुपए प्रति किलोग्राम किए जाने का प्रस्ताव है। इससे सस्ती किस्मों के ऊनी कपड़ों को लाभ होगा।

128. विस्कोस स्टेपल फाइबर और विस्कोस फिलामेंट यार्न पर शुल्क की वर्तमान दरों में कई वर्षों से कोई संशोधन नहीं किया गया है। राजस्व उपार्जक उपाय के रूप में, मैं विस्कोस स्टेपल फाइबर पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क की दर को 5 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बढ़ाकर 7 रुपया प्रति किलोग्राम कर देने का प्रस्ताव कर रहा हूं। इसी तरह से विस्कोस फिलामेंट यार्न के उत्पाद शुल्क की मंजूदा दर में भी करीब 12.5 प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है। इन दोनों उपायों से 29 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

129. जैसा कि सदन को मालूम है एक ऐसी योजना चल रही है जिसके अन्तर्गत चीनी, तम्बाकू और वस्त्रों पर बिक्री दर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (ए. ई. डी.) लगाया जाता है। अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से प्राप्त होने वाली पूरी राशि राज्य सरकारों को दे दी जाती है। अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है ताकि कर-भार स्तर तक पहुंच जाए। 100 रुपया प्रति वर्ग मीटर से अधिक निर्धारण योग्य मूल्य के महंगे कपड़ों पर शुल्क की दर बढ़ा कर 20 प्रतिशत की जा रही है। इस अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से कुल 40 करोड़ रुपए के राजस्व का लाभ होगा और उसे पूर्णतः राज्य सरकारों को दे दिया जाएगा।

130. मैं अब कुछ अन्य उद्योगों की चर्चा करूंगा, जिन्हें राहत की आवश्यकता है—

(1) हाल की नीतियों के परिणामस्वरूप सीमेंट उत्पादन में वृद्धि हुई है जिससे उपभोक्ता को लाभ पहुंचा है और इस नीति ने सीमेंट के विक्रय बाजार को क्रय बाजार में परिवर्तित कर दिया है। इस उद्योग में नए एककों की ऊंची पूंजी लागतों को देखते हुए इसे कुछ समर्थन प्रदान किए जाने की जरूरत है। अतः मैं पोर्टलैंड सीमेंट के सम्बन्ध में उत्पाद-शुल्क में 50 रुपये प्रति मीट्रिक टन की छूट देने का प्रस्ताव करता हूं जिसका उत्पादन इन एककों द्वारा 1-4-1986 से अथवा उसके बाद किया जा रहा हो। यह छूट 1-3-1987 से तीन वर्ष के लिए उपलब्ध होगी। इन एककों के सम्बन्ध में लेवी कोटा को वर्तमान 30 प्रतिशत के स्तर से घटाकर 15 प्रतिशत किया जा रहा है। सीमा-शुल्क में छूट केवल उन एककों को ही उपलब्ध होगी जिनका कुल उत्पादन उसकी लाइसेंस क्षमता के 30 प्रतिशत से कम न हो।

(2) मैं विलायक-निष्कर्षित तेलों और खली की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विशिष्ट मशीनों का आयात 55 प्रतिशत की सीमा-शुल्क छूट

प्राप्त दर पर करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूं। पिछले वर्ष हमने वनास्पती और साबुन के लिए गौण तेलों का अधिक मात्रा में उपयोग करने के लिए उत्पाद-शुल्क में छूट देने के लिए एक प्रणाली लागू की। इस व्यवस्था का वांछित परिणाम निकला और चावल की भूसी के तेल के उत्पादन में तथा बनास्पती और साबुन के उत्पादन में इनके उपयोग में पर्याप्त वृद्धि हुई। छूट की योजना को इस वर्ष भी जारी रखा जा रहा है। कुछ प्रक्रिया सम्बन्धी परिवर्तन किए जा रहे हैं और वनास्पति पर मूल्यानुसार शुल्क के स्थान पर मात्रानुसार शुल्क लगाया जा रहा है।

(3) खाद्य पदार्थों का बेहतर पैकेज बंधन और बेहतर संसाधन हमारे देश के किसानों की आमदनी में वृद्धि करने के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। मैंने प्लास्टिक के बारे में कुछ प्रस्ताव किए हैं जो बहुत सहायक सिद्ध होंगे। मैं मशीनरी के कुछ विनिर्दिष्ट मदों तथा निर्विषाक्त पैकेजबन्दी की मदों पर आयात शुल्क को 101 प्रतिशत से और ज्यादा कम करके 50 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

(4) मैं औषधों के विनिर्माण में अनन्य रूप से अथवा प्रधान रूप से उपयोग में लाए जाने वाले 36 और अधिक मध्यवर्ती औषधों पर अतिरिक्त सीमा-शुल्क की छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। इसके अतिरिक्त मैं पाइराजिनामाइड के विनिर्माण में, जो क्षय रोग दूर करने वाली एक दवा है, उपयोग में लाए जाने वाले दो विनिर्दिष्ट मध्यवर्ती औषधों पर सीमा-शुल्क को कम करके 70 प्रतिशत करने का प्रस्ताव कर रहा हूं

(5) ताप-सह सामग्री के निर्माण के काम में आने वाले विनिर्दिष्ट कच्चे माल पर सीमा-शुल्क घटाया जा रहा है

(6) सी. जी. ग्रेड के असाधित एल्यूमीनियम पर उत्पाद-शुल्क को 13 प्रतिशत से घटाकर 11 प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव है।

(7) मैं ध्वनि अंकित (डब्ड) वृत्त चित्रों सहित सामान्य वृत्त चित्रों पर उत्पाद-शुल्क में इस समय प्रवृत्त शुल्क में लगभग 10 प्रतिशत की कमी करने का प्रस्ताव करता हूं।

(8) औद्योगिक प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से उपयोग में लाए जाने के उद्देश्य से आयात किए जाने वाले विनिर्दिष्ट क्षमता के डिनेचर्ड एथाइल अल्कोहल को 60 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक सीमा शुल्क से छूट दी जा रही है।

(9) रेफ्रिजेरेशन (प्रशीतन) और वातानुकूलन उपकरणों तथा मशीनी उद्योग से सम्बन्धित छोटे पैमाने के उद्योगों की दो अलग-अलग मौजूदा योजनाओं को मिलाकर एक योजना बनाए जाने व इसे उदार बनाने का प्रस्ताव है। अब पांच लाख रुपए तक की निकासियों पर उत्पाद-शुल्क से पूरी छूट होगी। उसके बाद

पांच लाख रुपये से लेकर पंद्रह लाख रुपये तक के बीच की निकासियों के लिए प्रवृत्त उत्पाद-शुल्क के 50 प्रतिशत के बराबर उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा। बाद में, एकक सामान्य शुल्क की अदायगी करेगा किन्तु एकक के लिए उपलब्ध छूट और रियायतों को बनाए रखने की पात्रता की सीमा 40 लाख रुपए तक होगी।

(10) मैं एच. बी. आई./स्पंज लोहे और इस्पात के पिघलाने योग्य टुकड़ों के सम्बन्ध में इलैक्ट्रिक आर्क भट्ठी एककों को उपलब्ध सीमा-शुल्क की 20 प्रतिशत की रियायती दर को इंडक्शन फरनेस एककों पर भी लागू करने का प्रस्ताव करता हूं।

(11) एल्यूमीनियम फ्लोराइड के विनिर्माण में इस्तेमाल में लाए जाने वाले फ्लूस्पार (प्राकृतिक कैल्शियम फ्लोराइड) पर सीमा शुल्क को 110 प्रतिशत से घटा कर 75 प्रतिशत किया जा रहा है।

(12) मैं परिवार नियोजन उपकरणों और उपस्करों के विनिर्माण के लिए आवश्यक संयन्त्र और उपस्करों के सम्बन्ध में और साथ ही गैर-पारम्परिक ऊर्जा-स्रोतों का उपयोग करने वाले उपस्करों के सम्बन्ध में सीमा-शुल्क को घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों तथा स्थानीय निकायों द्वारा प्रशासित अग्निशमन सेवाओं के लिए उपयोग में लाए जाने वाले अद्यतन किस्मों के अग्निशामक उपस्करों पर भी इतनी ही कम दर पर शुल्क लगाया जा रहा है।

131. अतिरिक्त राजस्व की खोज करने में मुझे वित्त मंत्रियों के हमेशा भरोसे योग्य और विश्वसनीय मित्र और स्वास्थ्य मंत्रियों के पक्के शत्रु का सहारा लेना पड़ा है। हाल में, मुझे बताया गया है कि विवादों और मुकदमेबाजी के कारण ये मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बिगड़ गए हैं। अब मेरा प्रस्ताव है कि उत्पाद-शुल्क लगाने की एक नई और अधिक युक्तिसंगत प्रणाली अपना कर इन दोनों के बीच मित्रता की पुनः स्थापना की जाए।

132. सिगरेटों पर उत्पाद-शुल्क की मौजूदा प्रणाली मुद्रित खुदरा कीमतों पर आधारित है। मेरा मात्रानुसार उत्पाद-शुल्क की एक बिल्कुल नई प्रणाली अपनाने का प्रस्ताव है, जो सिगरेटों की लम्बाई पर आधारित होगी। यह प्रणाली बहुत से देशों में प्रचलित है। इससे उत्पाद शुल्क के सुस्पष्ट निर्धारण की सुनिश्चित व्यवस्था हो जाती है और निर्धारण योग्य मूल्य अथवा बिक्री मूल्य का निश्चय करने की सभी समस्याओं से बचा जा सकता है।

133. यह प्रस्ताव है कि 70 मि. मी. तक के आकार के बिना फिल्टर वाले सिगरेट के लिए उत्पाद शुल्क की दर 150 रुपए प्रति 1000 सिगरेट होगी। फिल्टर वाले सिगरेटों के मामले में, उत्पाद शुल्क के चार खण्ड होंगे, अर्थात 70 मि. मी., 70 मि.मी. से अधिक 75 मि. मी. तक, 75 मि. मी. से अधिक 85 मि. मी. तक, और 85 मि. मी. से अधिक 100 मि. मी. तक। इन खण्डों में फिल्टर वाले प्रति हजार सिगरेटों पर उत्पाद शुल्क की दर क्रमशः 200 रुपए, 300 रुपये, 400 रुपये और 600 रुपये होगी। सिग-

रेटों की टेरिफ दर 700 रुपये है और इसलिए 70 मि. मी. से अधिक लम्बे बिना फिल्टर वाले सिगरेटों और 100 मि. मी. से अधिक लम्बे फिल्टर वाले सिगरेटों पर टेरिफ दर लागू होगी।

श्री मधु दण्डवते : किन्तु उसकी मोटाई के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री राजीव गांधी : 134. यह योजना सरलीकरण और युक्तिकरण का एक प्रमुख उपाय होगी। प्रसंगवश इससे, सरकार को 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त होगा।

135. अब मैं मुख्यतः युक्तिकरण के कुछ अन्य उपायों का उल्लेख करूंगा :—

(1) वनों की कटाई के कारण हमारे पर्यावरण को गम्भीर क्षति पहुंच रही है। कर ढांचे से हमारी वन सम्पत्ति के संरक्षण से योगदान मिलना चाहिए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने लकड़ी के उत्पादों पर लगने वाले शुल्क के ढांचे को युक्तिसंगत बनाया है। मैं अपशिष्ट लकड़ी पर आधारित लकड़ी के उत्पादों जैसे पार्टिकल बोर्डों, इंसुलेशन और हार्डबोर्डों और फाइबर बोर्डों पर 20 प्रतिशत की एक-समान दर से उत्पाद-शुल्क लागू करने का प्रस्ताव करता हूं। प्राइम टिम्बर से बने सभी प्रकार के प्लाइवुड पर 30 प्रतिशत की ऊंची दर लागू होगी। मैं माननीय सदस्यों और पर्यावरण के संरक्षण में रुचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों से अपने सुझाव देने का अनुरोध करता हूं, और मैं ऐसे अन्य उपाय करने को तैयार हूं जिनसे इस नीति विषयक उद्देश्य का कार्यान्वयन हो सकता हो।

(2) नसवार और खाने के तम्बाकू पर और ऐसे उत्पादों पर जिनमें खाने का तम्बाकू मिला हो, 25 प्रतिशत की दर से उत्पाद-शुल्क लागू किया जा रहा है।

(3) सीमा-शुल्कों में छूट की अनेक अधिसूचनाओं के परिणामस्वरूप बहुत सी मदों के लिए शुल्क की दर 25 प्रतिशत से कम हो गई है। बीजक संबंधी कदाचारों की रोकथाम करने के लिए, शुल्क की दर, अत्यन्त विशेष परिस्थितियों को छोड़ कर, 25 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। तदनुसार 7 मदों के लिए शुल्क की दरें बढ़ा कर 25 प्रतिशत की जा रही हैं। कुछ अन्य मामलों में शुल्क की दरों का पुनरीक्षण किया गया है और उनमें वृद्धि की गई है।

(4) सोडा ऐश के बारे में 25 प्रतिशत (बुनियादी) की रियायती दर 31 मार्च, 1988 तक जारी रहेगी।

(5) यांत्रिक और क्वार्ट्ज एनालाग वाली हाथ की घड़ियों के 13 विनिर्दिष्ट हिस्सों पर 70 प्रतिशत की रियायती दर, कतिपय आशोधनों के साथ, एक और वर्ष तक जारी रहेगी। तीन विनिर्दिष्ट हिस्सों के लिए शुल्क की दर बढ़ा कर 100 प्रतिशत की जा रही है। हाथ की घड़ियों के कुछ अन्य हिस्सों के सम्बन्ध में रियायती दर बिल्कुल वापस ली जा रही है।

(6) वातित मृदु (साफ्ट) पेय पर उत्पाद-शुल्क में 20 पैसे प्रति बोतल और सोडे के मामले में 15 पैसे प्रति बोतल की वृद्धि की जा रही है। बोतलों से भिन्न पैकेजिंग में सोडे और मृदु पेयों पर क्रमशः 60 प्रतिशत और 75 प्रतिशत की दर से शुल्क लगेगा। अब इन मदों को मोडवाट के लाभ प्राप्त होंगे और इसलिए प्रभावी भार काफी कम होगा।

(7) विभिन्न किस्मों के संसाधित (प्रोसेस्ड) खाद्यों पर 15 प्रतिशत की दर से उत्पाद-शुल्क लिया जाता है। इस प्रकार के संसाधित और अपेक्षाकृत महंगे पैकेजबंद खाद्यों की सूची में नूडल, स्पेगेटी, मेकरोनी, वर्मीसेली, दालों से भिन्न अनाजों के फ्लैक, पकाने के लिए तैयार खाद्य मिश्रण, आदि को शामिल किया जा रहा है, जिन्हें यूनिट कंटेनरों में बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

(8) अनपिटे एल्यूमिनियम पर, सामान्य अतिरिक्त शुल्क के अलावा, बुनियादी सीमा-शुल्क की मूल्यानुसार दर को 20 प्रतिशत से बढ़ा कर 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। आयातित धातु की जहाज उतरती लागत को सांविधिक प्रति टन मूल्य के बराबर करने के लिए स्वदेशी एल्यूमिनियम की कीमतों में वृद्धि कर दिए जाने के कारण ऐसा करना जरूरी हो गया है।

(9) मैं लघु इस्पात संयन्त्रों द्वारा निर्मित इस्पात के डलों पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को 315 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 365 रुपये प्रति टन करने का प्रस्ताव करता हूं, ताकि यह शुल्क एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पादित इस्पात के डलों के शुल्क के बराबर हो जाए। लेकिन मोडवाट क्रेडिट और ऊंची कीमतों के कारण, संशोधित दर पर भी उत्पाद-शुल्क का मूल्यानुसार प्रभाव एकीकृत इस्पात संयन्त्रों द्वारा उत्पादित इस्पात पर लगने वाले शुल्क से कम होगा।

136. मैं इस अवसर का उपयोग तेल पूल खाते के अधिशेष को कर-जाल के अन्तर्गत लाने के लिए कर रहा हूं। इससे उपभोक्ता मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह अधिशेष इस समय सरकार को कर-भिन्न प्राप्ति के रूप में प्राप्त होता है। मैं अब आयातित क्रूड पेट्रोलियम पर सीमा शुल्क में 500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं उन उच्चतम सीमाओं को भी बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं जहां तक तेल उद्योग में विकास के लिए भारत में उत्पादित क्रूड तेल और प्राकृतिक गैस पर उपकर के रूप में उत्पाद-शुल्क लगाया जा सकता है। इन सीमाओं को क्रूड तेल के मामले में 300 रुपए प्रति मी. टन से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति मी. टन करने और प्राकृतिक गैस पर 50 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए प्रति हजार घन मीटर करने का प्रस्ताव है। पहली मार्च, 1987 से क्रूड तेल पर उपकर की प्रभावी दर को 300 से बढ़ाकर 600 रुपये प्रति मीट्रिक टन करने का प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों से सीमा-शुल्क के रूप में 800 करोड़ रुपये और उपकर के रूप में 900 करोड़ रुपये की

प्राप्तियां होने की सम्भावना है तथा कर-भिन्न प्राप्तियों में इतनी ही कमी हो जाएगी । इन वृद्धियों का बोझ पूर्णतः पूल खाते द्वारा वहन किया जाएगा और इनसे उपभोक्ता द्वारा अदा की जाने वाली कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

137. उपर्युक्त प्रस्तावों के अलावा, मैंने उत्पाद-शुल्कों और सीमा-शुल्कों की दरों में परिवर्तन करने के लिए वित्त विधेयक में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया है । ये संशोधन केवल समर्थकारी उपबन्ध हैं और राजस्व की दृष्टि से इनका कोई महत्व नहीं है । इसके अतिरिक्त, मौजूदा अधिसूचनाओं, उत्पाद-शुल्क नियमों में संशोधन करने के कई प्रस्ताव हैं, जिनका केवल प्रक्रियात्मक महत्व है । सदन के समय की बचत करने की दृष्टि से, उनका उल्लेख करने का मेरा विचार नहीं है । सहायक सीमा-शुल्क और विशेष उत्पाद-शुल्क उद्ग्रहण को जारी रखने के लिए भी वित्त विधेयक में उपबन्ध किए जा रहे हैं ।

138. सीमा-शुल्कों और उत्पाद-शुल्कों में 1 मार्च, 1987 से प्रभावी होने वाले परिवर्तनों को लागू करने वाली अधिसूचनाओं की प्रतियां यथा समय इस सदन के पटल पर रखी जायेंगी ।

139. सीमा-शुल्कों और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों के सम्बन्ध में मेरे प्रस्तावों से, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, सीमा-शुल्कों के अन्तर्गत 531.73 करोड़ रुपए और उत्पाद-शुल्कों के अन्तर्गत 431.80 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना है । सीमा-शुल्कों के सम्बन्ध में कुल मिला कर 464.81 करोड़ रुपये और उत्पाद-शुल्कों के सम्बन्ध में 130.00 करोड़ रुपये की रियायतें और राहतें प्रदान की गई हैं । इस प्रकार, सीमा-शुल्कों से 66.92 करोड़ रुपये और उत्पाद-शुल्कों से 301.80 करोड़ रुपये का निवल अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा । उत्पाद-शुल्कों में केन्द्र का हिस्सा 109.48 करोड़ रुपये और राज्यों का हिस्सा 192.32 करोड़ रुपये होगा । 368.72 करोड़ रुपये के कुल निवल अतिरिक्त राजस्व में केन्द्र का हिस्सा 176.40 करोड़ रुपये और राज्यों का हिस्सा 192.32 करोड़ रुपये का होगा ।

140. मैंने इससे पहले बताया था कि करों की वर्तमान दरों पर बजट में 6,010 करोड़ रुपये का घाटा रहेगा । प्रस्तावित कर उपायों और राहतों के परिणामस्वरूप, केन्द्र को 322 करोड़ रुपये के निवल अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी । इससे 5,688 करोड़ रुपये का घाटा रह जाएगा, जिसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है । यह चालू वर्ष के घाटे से काफी कम है । जैसा कि पहले बताया गया है, मैंने फैसला किया है कि इसे बढ़ने नहीं दिया जाएगा । मैंने इस फैसले को क्रियान्वित करने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है ।

141. अध्यक्ष महोदय, मुझे उन भारी चुनौतियों की जानकारी है, जिनका सामना हमारी अर्थव्यवस्था को करना पड़ रहा है । उनमें से कुछ ऐसी हैं, जो किसी जनतांत्रिक व्यवस्था में आयोजित विकास की प्रक्रिया में अन्तर्निहित होती हैं । लेकिन कुछ ऐसी हैं, जिनका हमें एक स्वतन्त्र विदेश नीति का अनुसरण करने की कीमत चुकाने के रूप में सामना करना है । भारत की जनता ने अपनी स्वतन्त्रता को बरकरार रखा है और स्वेच्छापूर्वक

इस भार को स्वीकार किया है। उनका साहसिक प्रयास, उनका बलिदान, और अपने सपनों के भारत का निर्माण करने की अपनी सामर्थ्य के प्रति उनका अटल विश्वास मेरे लिए शक्ति, प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत है। आइए, हम सब एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें।

142. मैं यह बजट सदन को प्रस्तुत करता हूं।

6.35 म० प्र०

वित्त विधेयक, 1987*

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष, 1987-88 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:—

"कि वित्तीय वर्ष, 1987-88 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने वाले विधेयक की पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राजीव गांधी : मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वित्त विधेयक, 1987 पुर:स्थापित किया गया।

प्रो० मधु दण्डवते : यह अच्छी बात है कि उन्होंने दूसरी प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया।

6.36 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 2 मार्च 1987/11 फाल्गुन, 1908 (शक) के ग्यारह बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

---

*दिनांक 28-2-87 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

चौधरी मुद्रण केन्द्र